Main Exam Series

दृष्टि The Vision

आई.ए.एस.

मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन के 2013-20 तक के प्रश्नपत्रों का खंडवार हल

पंचम संस्करण

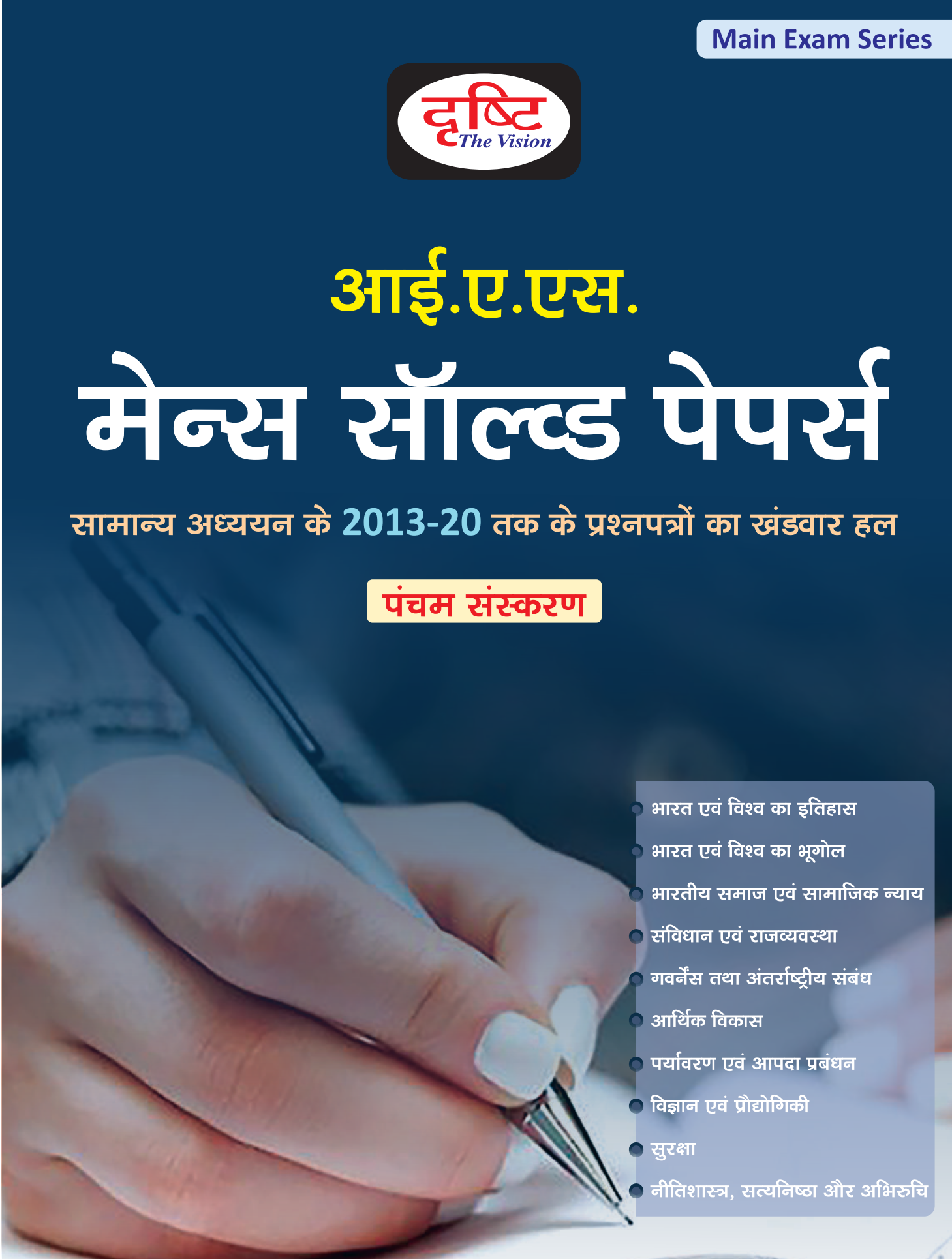

- भारत एवं विश्व का इतिहास
- भारत एवं विश्व का भूगोल
- भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय
- संविधान एवं राजव्यवस्था
- गवर्नेंस तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- आर्थिक विकास
- पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- सुरक्षा
- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com या Drishti Learning App पर FAQs पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

आई.ए.एस.
मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

2013–20 तक के आई.ए.एस.
(मुख्य परीक्षा) के प्रश्नों का खंडवार हल

दृष्टि पब्लिकेशन्स
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 011-47532596, 87501 87501
वेबसाइट : www.drishtiias.com
ई-मेल : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : ***आई.ए.एस. मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स***

लेखक : ***टीम दृष्टि***

पंचम संस्करण : फरवरी 2021

मूल्य : ₹ 360

ISBN : 978-81-950940-9-7

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे प्रत्येक अभ्यर्थी का सपना होता है कि वह सिविल सेवक बने। इस सपने को साकार करने के लिये वह कड़ी मेहनत भी करता है। परंतु यह सपना सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके साथ सटीक रणनीति अपनाने से ही साकार हो सकता है। ध्यातव्य है कि यू.पी.एस.सी. द्वारा सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों (वस्तुनिष्ठ, लिखित एवं मौखिक) में आयोजित की जाती है। निस्संदेह इसका प्रत्येक चरण अपने आप में महत्त्वपूर्ण होता है, परंतु इनमें लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अच्छे प्रदर्शन के बिना आप अंतिम सूची में स्थान नहीं बना सकते।

आपके इस सपने को साकार करने के लिये ही दृष्टि पब्लिकेशन्स ने वर्ष 2017 में 'आई.ए.एस. मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स' पुस्तक प्रकाशित की थी। आपने इस पुस्तक को हाथों-हाथ लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया। आपसे प्राप्त इन्हीं उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हम एक वर्ष के अंदर ही इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकाल पाएँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके पंचम संस्करण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसमें वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों के हल भी सम्मिलित हैं।

यू.पी.एस.सी. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के अध्ययन से पता चलता है कि हाल के वर्षों में अंतिम चयन सूची में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी निरंतर कम हुई है। इस संदर्भ में, यदि अभ्यर्थियों के परिणाम का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों में अच्छे अंक नहीं ला पाना ही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारक है और इसकी बुनियादी वजह है- प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर न दे पाना। इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि अभ्यर्थी के पास एक ऐसी मानक पुस्तक हो जो प्रश्नों की मांग के अनुरूप सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रस्तुत करती हो ताकि अभ्यर्थी उन उत्तरों को पढ़कर अपनी लेखन शैली की कमियों को दूर कर सकें।

गौरतलब है कि बाज़ार में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सॉल्व्ड पेपर्स की कमी नहीं है, परंतु उनके अध्ययन के उपरांत हमारी संपादकीय टीम ने पाया कि उनमें प्रश्नों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया गया है। इसके अलावा, उनमें से कई पुस्तकों में अद्यतनता का अभाव एवं अशुद्धियों की भरमार भी है। ऐसी अधिकांश पुस्तकों में प्रश्नों में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण शब्दों जैसे 'समीक्षा', 'आलोचनात्मक विवेचना', 'मूल्यांकन' और 'व्याख्या' को एक ही तराज़ू पर तौलते हुए सारे प्रश्नों के उत्तर एक जैसे तरीके से लिख दिये गए हैं। इस तरह के सॉल्व्ड पेपर्स अभ्यर्थियों की दुविधा का समाधान करने की बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए हमारी टीम ने यह पुस्तक तैयार करने की चुनौती स्वीकार की। हमने इसके लिये एक कोर टीम बनाई जिसमें मुख्य परीक्षा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले 15 सदस्य शामिल थे। इसी अनुभवी टीम ने रात-दिन एक करके इस अहम कार्य को अंजाम तक पहुँचाया।

पुस्तक में हमने प्रश्नों की मांग के अनुरूप उत्तर प्रस्तुत किये हैं। भूगोल के उत्तरों में यथोचित स्थानों पर मानचित्रों एवं रेखाचित्रों का प्रयोग भी किया गया है। उत्तरों की गुणवत्ता व प्रामाणिकता बनाए रखने के लिये विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों की रिपोर्ट्स एवं सुझाव यथोचित स्थानों पर दिये गए हैं। इसके साथ ही हमने सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर उपखडों में भी विभाजित किया है। इससे अभ्यर्थियों को उत्तर की आदर्श संरचना समझने के साथ-साथ परीक्षा के ट्रेंड का विश्लेषण करने में भी सहायता मिल सकेगी।

गौरतलब है कि हमने उत्तर लेखन में यू.पी.एस.सी. द्वारा निर्धारित शब्द सीमा का कई स्थानों पर जान-बूझकर पालन नहीं किया है क्योंकि हम चाहते थे कि अभ्यर्थी उत्तर पढ़ते समय उस टॉपिक के विविध पहलुओं से परिचित हों ताकि वे मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के दौरान सुलझी हुई राय प्रस्तुत कर सकें। अभ्यर्थी को यू.पी.एस.सी. के प्रश्नों का अनुवाद समझने में कोई परेशानी न हो, इसके लिये हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी प्रश्न दिये गए हैं। साथ ही, यू.पी.एस.सी. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान अनुवाद में की गई भूलों को भी यथास्थान इंगित किया गया है ताकि अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रश्नपत्र पढ़ने के दौरान सचेत रहें एवं उत्तर लिखते समय अंग्रेज़ी प्रश्न पर निगाह रखने की आदत विकसित कर लें।

कुल मिलाकर, हमारी टीम को पूरा विश्वास है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर आधारित यह पुस्तक आपके उत्तर लेखन के स्तर में न केवल गुणात्मक सुधार लाएगी, बल्कि आपकी सफलता में केंद्रीय भूमिका भी निभाएगी। आपसे निवेदन है कि पुस्तक पढ़कर हमें ज़रूर बताएँ कि हम अपने उद्देश्य में कितने सफल रहे? अगर आपको इस पुस्तक में कोई भी कमी दिखे या आप इसमें कोई सुधार चाहते हों तो कृपया **अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रमणिका

प्रश्नपत्रों का अंकवार वर्गीकरण 1–6

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I 7–108

- भारतीय विरासत एवं संस्कृति
- आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पूर्व)
- आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पश्चात्)
- विश्व इतिहास
- भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ
- भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II 109–208

- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
- गवर्नेंस
- सामाजिक न्याय
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III 209–316

- अर्थव्यवस्था
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण
- आपदा प्रबंधन
- सुरक्षा

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-IV 317–411

- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
- केस स्टडीज़

2013–20 तक आई.ए.एस. (मुख्य परीक्षा) में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों का अंकवार वर्गीकरण एवं वर्षानुगत हल

वर्ष 2013 से 2020 तक सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों का खंडवार एवं अंकवार वर्गीकरण

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-I)

भारत एवं विश्व का इतिहास	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013
भारतीय विरासत एवं संस्कृति	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	4 (40 अंक)	3 (20 अंक)
आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पूर्व)	2 (25 अंक)	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)	5 (65 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (30 अंक)	4 (40 अंक)
आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पश्चात्)	–	–	1 (15 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	-	4 (40 अंक)
विश्व इतिहास	–	1 (15 अंक)	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (30 अंक)	4 (40 अंक)
अंक	75 अंक	75 अंक	75 अंक	85 अंक	87.5 अंक	87.5 अंक	100 अंक	140 अंक
भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
भारतीय समाज की विशेषताएँ	2 (25 अंक)	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	-	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)	-
महिलाओं से संबंधित मुद्दे	–	1 (15 अंक)	1 (15 अंक)	–	-	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)	1 (10 अंक)
गरीबी एवं विकासात्मक विषय	2 (25 अंक)	–	2 (25 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–
शहरीकरण	–	1 (15 अंक)	–	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–	1 (10 अंक)
जनसंख्या	–	1 (10 अंक)	–	–	-	2 (25 अंक)	–	–
भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव	1 (15 अंक)	1 (15 अंक)	1 (15 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–	–	1 (10 अंक)
संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)
सामाजिक सशक्तीकरण	–	–	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–
अंक	75 अंक	90 अंक	90 अंक	65 अंक	75 अंक	100 अंक	50 अंक	40 अंक
भारत एवं विश्व का भूगोल	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
भौतिक भूगोल	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	3 (40 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	2 (20 अंक)	5 (30 अंक)
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण	2 (30 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (10 अंक)	5 (62.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (20 अंक)	2 (20 अंक)
भारत एवं विश्व में उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक	1 (10 अंक)	2 (20 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–	–	3 (30 अंक)	2 (10 अंक)
महत्त्वपूर्ण भू-भौतिक घटनाएँ (भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि)	3 (40 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	2 (20 अंक)	2 (10 अंक)
भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	–	–	1 (10 अंक)	–
अंक	100 अंक	85 अंक	85 अंक	100 अंक	87.5 अंक	62.5 अंक	100 अंक	70 अंक
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-II)

भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013
भारतीय संविधान (विशेषताएँ प्रावधान), भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	1 (15 अंक)	2 (30 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं स्थानीय शासन	3 (40 अंक)	2 (25 अंक)	2 (30 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
विधायिका एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम	3 (35 अंक)	2 (30 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
कार्यपालिका	–	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	–	–	2 (25 अंक)	–
न्यायपालिका	–	–	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–
विभिन्न घटकों के मध्य शक्ति का पृथक्करण	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)
संवैधानिक पद तथा संवैधानिक विधिक, विनियामक एवं अर्ध-न्यायिक निकाय	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	4 (45 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)
लोकतंत्र में सिविल सेवा	1 (10 अंक)	–	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–
अंक	125 अंक	115 अंक	125 अंक	115 अंक	112.5 अंक	100 अंक	100 अंक	80 अंक
शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
विकास के लिये सरकारी नीतियाँ एवं क्रियान्वयन से संबंधित विषय	2 (25 अंक)	2 (30 अंक)	1 (10 अंक)	3 (40 अंक)	–	–	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)
गैर-सरकारी संगठन, स्वयं-सहायता समूह एवं विभिन्न समूहों की विकास प्रक्रिया में भूमिका	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
अतिसंवेदनशील वर्गों के लिये चलाई गई कल्याणकारी योजनाएँ	–	1 (15 अंक)	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
मानव संसाधन से संबंधित विषय	–	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	–	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–	–
शासन प्रणाली से संबंधित विषय, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई-गवर्नेंस, सिटिज़न चार्टर	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	–	3 (30 अंक)
अंक	75 अंक	85 अंक	75 अंक	85 अंक	87.5 अंक	100 अंक	87.5 अंक	90 अंक
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
भारत एवं इसके पड़ोसी देश	–	–	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	6 (60 अंक)
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह, विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, प्रवासी भारतीय	3 (40 अंक)	3 (40 अंक)	1 (15 अंक)	2 (30 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (10 अंक)
अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	62.5 अंक	80 अंक
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-III)

अर्थव्यवस्था	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013
भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन, विकास, रोज़गार से संबंधित मुद्दे	2 (25 अंक)	2 (20 अंक)	2 (30 अंक)	2 (20 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–
समावेशी विकास	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
बजट	–	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–	3 (30 अंक)
मुख्य फसलें, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, सिंचाई, ई-प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित विषय एवं बाधाएँ	2 (25 अंक)	4 (45 अंक)	3 (40 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, जन वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा	–	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	2 (20 अंक)
खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, पशुपालन	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	–	1 (10 अंक)	–	2 (25 अंक)	–	1 (10 अंक)
भारत में भूमि सुधार	–	–	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति	–	–	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
बुनियादी ढाँचा	–	–	1 (15 अंक)	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
निवेश मॉडल	1 (15 अंक)	–	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (20 अंक)
अंक	85 अंक	125 अंक	115 अंक	125 अंक	137.5 अंक	125 अंक	112.5 अंक	120 अंक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, अनुप्रयोग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स इत्यादि, बौद्धिक संपदा से संबंधित विषय	4 (50 अंक)	2 (20 अंक)	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	6 (45 अंक)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास	–	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	–
अंक	50 अंक	35 अंक	25 अंक	35 अंक	25 अंक	50 अंक	37.5 अंक	45 अंक
पर्यावरण	4 (50 अंक)	2 (25 अंक)	4 (45 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (25 अंक)
आपदा प्रबंधन	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (15 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
सुरक्षा	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2020**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2019**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक : 2013**
विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध	1 (15 अंक)	–	1 (10 अंक)	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, साइबर सुरक्षा, धनशोधन	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद	2 (25 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	3 (37.5 अंक)	–	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)
सुरक्षा बल और संस्थान तथा उनके अधिदेश	–	1 (15 अंक)	–	–	–	1 (12.5 अंक)	–	–
अंक	50 अंक	40 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	62.5 अंक	50 अंक
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-IV)

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2020	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2019	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2018	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2017	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2016	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2015	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2014	प्रश्नों की संख्या/अंक : 2013
नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह- संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार, निर्धारक, परिणाम, आयाम, सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीतिशास्त्र, मूल्य विकसित करने में परिवार समाज व शिक्षण संस्थाएँ	2 (20 अंक)	3 (40 अंक)	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)	3 (40 अंक)	4 (55 अंक)	4 (40 अंक)	2 (20 अंक)
अभिवृत्ति: सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार आचरण में इसका प्रभाव, नैतिक राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (10 अंक)	2 (20 अंक)	–	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)
भावात्मक समझ: अवधारणा तथा प्रशासन में उपयोग	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)
भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक	5 (50 अंक)	3 (30 अंक)	3 (30 अंक)	2 (20 अंक)	4 (40 अंक)	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)
सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य: सत्यनिष्ठा, गैर-तरफदारी, सेवा के प्रति समर्पण, कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति	2 (40 अंक)	2 (30 अंक)	1 (10 अंक)	3 (40 अंक)	2 (30 अंक)	5 (60 अंक)	4 (50 अंक)	3 (50 अंक)
लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, सरकारी एवं निजी संस्थान में नैतिक चिंता एवं दुविधा, उत्तरदायित्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं निधि व्यवस्था के नैतिक मुद्दे	4 (60 अंक)	4 (70 अंक)	8 (110 अंक)	5 (70 अंक)	3 (65 अंक)	4 (70 अंक)	5 (90 अंक)	4 (70 अंक)
शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, पारदर्शिता, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोकनिधि, भ्रष्टाचार	2 (40 अंक)	5 (60 अंक)	6 (90 अंक)	4 (70 अंक)	3 (45 अंक)	3 (45 अंक)	2 (30 अंक)	2 (40 अंक)
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-I)

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

2020

प्रश्न: शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The rock-cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss.

उत्तर: प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास को जानने के लिये उपयोगी सामग्रियों को दो भागों में बाँटा जाता है- 1. पुरातात्विक स्रोत, 2. साहित्यिक स्रोत।

शैलकृत स्थापत्य एक पुरातात्विक स्रोत सामग्री है जो प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगती है। उच्चपुरापाषाण कालीन प्राकृतिक गुफाओं जैसे भीमबेटका में बनाए गए चित्र उस समय के पशु-पक्षियों, मानव समुदाय और रीति-रिवाजों की जानकारी देते हैं।

वस्तुत: पहाड़ को काटकर गुफा निर्मित करने का प्रथम उदाहरण अशोक काल का मिलता है जिससे न केवल उस समय के विकसित स्थापत्य कला का पता चलता है बल्कि गुफा काटने की तकनीक के विकास का भी ज्ञान होता है। बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई ये गुफाएँ आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थीं जो अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी देती हैं।

मौर्योत्तर काल में आकर गुफा स्थापत्य और विकसित हुआ तथा उसमें चैत्य और स्तूप बनाए जाने लगे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बने इन चैत्य गुहा मंदिरों से तत्कालीन उच्च कला के विकास का पता चलता है। प्रारंभिक चैत्य गुहा मंदिर जहाँ अपनी बनावट में सादे हैं, जैसे-भज, वहीं बाद के कार्ले चैत्य गुहा मंदिर अपने अलंकृत स्थापत्य के लिये जाने जाते हैं। खारवेल के समय उदयगिरि पहाड़ियों में बनी रानीगुंफा गुहा जैन विहार है। इन गुफाओ में लिखे गए अभिलेखों से राजनीतिक घटनाओं का भी पता चलता है, जैसे हाथीगुंफा लेख।

अजंता के गुहा मंदिर मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक के विकास को दर्शाते हैं। इनमें मूर्तिकला और चित्रकला के भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी शैलकृत स्थापत्यों से न केवल स्थापत्यगत विकास का ज्ञान होता है अपितु मूर्तिकला और चित्रकला के विकास और उनके विषय से विभिन्न धर्मों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अजंता गुहा में गुप्तकालीन चित्र ऐतिहासिकता और कलात्मकता दोनों दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण हैं। उदयगिरि पहाड़ियों की बाघ गुफा अपने धर्मनिरपेक्ष चित्र के लिये प्रसिद्ध है।

एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का अनन्य उदाहरण है जो हिन्दू धर्म के बढ़ते प्रभाव का द्योतक भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैलकृत स्थापत्य से भारतीय प्रारंभिक इतिहास और कला दोनों की जानकारी मिलती है और ये इतिहास अध्ययन के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

प्रश्न: भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्त्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate.

उत्तर: पूर्वमध्यकाल यानी 800 ई. से 1200 ई. के दौरान भारत में बौद्धधर्म पतन की ओर अग्रसर होने लगा। उत्तर भारत में शैव मतावलंबी हूणों के आक्रमण से उसे आघात लगा तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म को संगठित कर वाद-विवाद में बौद्धों को पराजित कर दिया।

इसी समय पतनोन्मुख बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण पालवंशी शासकों ने प्रदान किया जिससे उसको भारत में नवजीवन मिला, इसीलिये पाल शासनकाल बौद्ध इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण चरण बन जाता है।

सर्वप्रथम पालों के संरक्षण से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। वज्रयान शाखा वस्तुत: तंत्र-मंत्र पर आधारित चमत्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल देता था जो उत्तर-पूर्व में स्थानीय रूप से प्रचलित तंत्र-मंत्र पर आधारित था। बुद्ध की शिक्षाओं से आगे बढ़कर ब्राह्मणिक कर्मकांड को अब अपना लिया गया था।

पाल राजाओं धर्मपाल और देवपाल ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को अपना संरक्षण प्रदान किया बल्कि विक्रमशिला, ओदंतपुरी और सोमपुर विश्वविद्यालय और अनेक बौद्ध विद्यालयों का निर्माण कर बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया।

पाल शासकों ने बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये तिब्बत में आतिश दीपांकर के नेतृत्व में बौद्ध दल भेजा जिसने पूरे एशिया में तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक बौद्ध-धर्म के महायान और वज्रयान शाखा का प्रचार किया।

पाल शासकों ने कला रूपों में भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। धीमन और विधपाल क्रमश: धर्मपाल और देवपाल के काल में कांस्य एवं प्रस्तरमूर्तिकला के अग्रणी कलाकार थे। इस समय बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय आदि की मूर्तियाँ बनाई गईं। इनका निर्माण काले पत्थरों से किया गया जो अतिसुंदर और उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। लघु चित्रकला का विकास हुआ जो दीवारों और ताम्रपत्रों पर बनाई गई है। इसमें भी बौद्ध धर्म से प्रेरणा ली गई।

आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पूर्व)

2020

प्रश्न: लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Evaluate the policies of Lord Curzon and their long term implications on the national movement.

उत्तर: भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन ने 1899 ई. से 1905 ई. तक अपनी सेवाएँ दीं। उनकी नीतियों से प्रतीत होता है कि वे एक साम्राज्यवादी प्रशासक थे। विदेश नीति में रूसी खतरे को रोकने के लिये लगातार अफगानिस्तान और ईरान में हस्तक्षेप करना तथा तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजकर उसे अपने अनुकूल बनाना उनकी आक्रामक नीति का उदाहरण है।

घरेलू नीति में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उभार को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया उसने समूचे राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दे दी। सबसे पहले 1899 ई. में कलकत्ता नगर निगम में चुने गए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। इसके पश्चात् 1904 ई. में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया और विद्यालयों की संबद्धता का प्रश्न सरकारी अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया। अभी राष्ट्रवादी इन नीतियों का समुचित विरोध कर पाते तभी 1905 ई. में बंगाल की बढ़ती राष्ट्रवादी ताकत को समाप्त करने के लिये उसके विभाजन की घोषणा कर दी गई।

बंगाल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया कि आधुनिक भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का आगाज हो गया यानि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल बनाया गया तथा लगातार सरकार की तरफ से सांप्रदायिक विभाजन और हिंसा को बढ़ावा दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का प्रतिरोध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाकर किया। यही स्वदेशी और बहिष्कार ने आगे गांधी जी के आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। स्वदेशी के तहत भारतीय उद्योगों की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय कॉलेज बनाए गए, कला के क्षेत्र में भी प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय कला से प्रेरणा ग्रहण की गई। यह पहला ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय छवि ग्रहण करता हुआ पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन में शहरी महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा शहर और गाँव के गरीब लोगों की भी सीमित भागीदारी देखी गई।

यद्यपि 1908 ई. तक आते-आते स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा लेकिन इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिये नींव तैयार कर दी। सर्वप्रथम आंदोलन की असफलता से निराश कुछ नवयुवकों ने व्यक्तिगत बहादुरी वाले क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता पकड़ लिया। इसके अलावे इस आंदोलन ने नरमदलीय संवैधानिक राजनीति का खात्मा करके उग्र राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में आम लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें स्वदेशी और बहिष्कार जैसे राजनीतिक हथियार से लैस किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ यह पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था जो भावी संघर्ष का बीज बोकर समाप्त हुआ।

प्रश्न: 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Since the decade of the 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss.

उत्तर: 1920 का दशक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिये विभिन्न विचारधाराओं के समामेलन द्वारा अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करने का दशक रहा। इसमें न केवल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का योगदान था, अपितु श्रमिक संघों, समाजवादियों, क्रांतिकारियों के आंदोलन ने भी अपनी भूमिका निभाई।

1920 ई. में खिलाफत-असहयोग आंदोलन के आरंभ ने राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार मुस्लिम वर्ग में भी कर दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग देकर मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बना दिया। इसके अलावे उन्होंने छुआछूत को मिटाने का संकल्प लेकर असहयोग आंदोलन में दलित वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित की। गांधी जी के इस आश्वासन ने कि यदि असहयोग के कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल किया गया तो एक वर्ष के भीतर आजादी मिल जाएगी, ने राष्ट्रीय आंदोलन की मानो दिशा ही बदल दी और उसे एक ऐसा आयाम दिया जिसमें अधिसंख्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। लेकिन 5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा कांड के पश्चात् 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेकर गांधी जी ने आंदोलनकारियों के सपनों पर पानी फेर दिया।

असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् विधानसभाओं में प्रवेश को लेकर कांग्रेसी नेताओं में वैचारिक मतभेद हो गए। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन कर सफलतापूर्वक विधानसभाओं में कांग्रेस के अप्रत्यक्ष सहयोग से स्वराज के प्रतिनिधि चुने गए और वहाँ उन्होंने सरकार के प्रस्तावों का विरोध कर या राष्ट्रीय हितों के पक्ष में प्रस्ताव पेश कर असहयोग की असफलता से उत्पन्न राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास किया।

दूसरी तरफ कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी-दल ने वल्लभ भाई पटेल, राज गोपालाचारी और राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम चलाकर छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा लोगों को खादी से जोड़कर स्वावलंबी बनाया गया। राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। इसी दशक में महिलाओं ने भी अपनी अस्मिता की पहचान के लिये पृथक आंदोलन चलाया और ऑल इंडिया विमेन्स कांफ्रेंस की स्थापना मारग्रेट कजिंस के नेतृत्व में की।

भारत की नींव रखी।

लॉर्ड डलहौज़ी के समय भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारत को रेलवे लाइनों के द्वारा एक सूत्र में बाँधकर एक कर दिया गया। डलहौज़ी के द्वारा प्रारंभ की गई रेलवे लाइन बिछाने की यह योजना भारत में रेलवे के भावी प्रसार का आधार बनी। रेलवे के विस्तार से भौगोलिक दूरी में कमी आई तथा भौगोलिक एकता की स्थापना हुई।

डलहौज़ी ने शिक्षा में सुधार के लिये चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिये एक व्यापक योजना बनाई। चार्ल्स वुड के द्वारा बनाई गई यह योजना आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला थी, जिसमें ज़िलों में एंग्लो-वर्नाकुलर स्कूल तथा तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

लॉर्ड डलहौज़ी भारत में टेलीग्राफ का प्रारंभकर्त्ता भी था, जिसने कलकत्ता से लेकर पेशावर, बंबई और मद्रास तक देश के भिन्न-भिन्न भागों को टेलीग्राफ तार द्वारा मिला दिया। आधुनिक डाक व्यवस्था की आधारशिला भी डलहौज़ी के समय में रखी गई। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा देश में कहीं भी निश्चित शुल्क की दर पर पत्र भेजा जा सकता था। देश में पहली बार डलहौज़ी के समय डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ।

डलहौज़ी के समय में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसके द्वारा सार्वजनिक महत्त्व के कई कार्यों के लिये धन व्यय किया जाने लगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना के बाद नहरों, पुलों एवं ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण कार्य में तेज़ी आई।

वाणिज्य संबधी सुधार के कार्य भी डलहौज़ी के समय किये गए। कराची, बंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास किया गया तथा बहुत से प्रकाश स्तंभों का निर्माण कराया गया।

यद्यपि लॉर्ड डलहौज़ी के आधुनिकीकरण के ये प्रयास औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थे, लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसने आधुनिक भारत की नींव रखी थी।

www.drishtiias.com/hindi

तैयारी की रणनीति
मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न
पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी
डेली न्यूज़ और एडिटोरियल (अंग्रेज़ी के प्रमुख समाचार पत्रों से)
राज्यसभा/लोकसभा टी.वी. डिबेट
पी.आर.एस. कैप्सूल्स
माइंड मैप
60 Steps to Prelims
टू द पॉइंट
फोरम
एन.सी.ई.आर.टी. टेस्ट
महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स की जिस्ट
डेली करेंट टेस्ट
योजना, कुरुक्षेत्र सहित अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं के टेस्ट
ब्लॉग
यू-ट्यूब चैनल

रोज़ाना एक घंटा इस वेबसाइट पर गुज़ारिये और प्रिलिम्स से इंटरव्यू तक की अपनी तैयारी को मज़बूत आधार प्रदान कीजिये।

आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पश्चात्)

2018

प्रश्न: चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद है या नहीं है।
(250 शब्द, 15 अंक)

Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.

उत्तर: भारत में स्वतंत्रता पश्चात् ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी, हालाँकि उस समय नए राज्यों की मांग का कारण 'भाषायी आधार' था। वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्र, जैसे- गोरखालैंड, बुंदेलखंड इत्यादि नए राज्यों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों का मत है कि नए राज्यों के गठन से बेहतर शासन-प्रशासन के अलावा राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिये प्रतिकूल होगा।

वस्तुत: नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिये निम्नलिखित रूप से लाभप्रद है-

- नए राज्यों के गठन से राज्यों का आकार छोटा होगा, जिससे शासन एवं प्रशासन के सुगम संचालन के साथ ही दक्षता में वृद्धि होगी; जो अंतत: राज्य के विकास के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में लाभप्रद होगा।
- बड़ा राज्य होने की स्थिति में कई बार कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद शासन की गलत नीतियों के कारण आर्थिक-सामाजिक विकास में पिछड़ा रह जाता है। नए राज्यों के गठन से यह समस्या बेहतर शासन पहुँच से दूर होगी तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा।
- नए राज्यों के गठन के कारण उस राज्य में नृजातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद जैसी राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा, फलत: नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के संचार के कारण नागरिक देश की आर्थिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तीव्र कर सकते हैं।
- नए राज्यों के गठन से शासन की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाकर राज्य में विद्यमान विषमता को कम किया जा सकता है। राज्य में मौजूद विषमता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी हिंसक गतिविधियों में सहयोगी होती है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। नए राज्यों के गठन से बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उपर्युक्त गतिविधियों को समाप्त या कम करके निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की संवृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है।

किंतु, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, यह ज़रूरी नहीं है; जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं-

- नए राज्यों के गठन से अलग-अलग प्रशासनिक भवन और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे देश को अतिरिक्त व्यय सहन करना पड़ेगा।
- राज्यों के गठन के समय संसाधनों के बँटवारे के क्रम में एक राज्य को कम संसाधन प्राप्त हो सकते हैं, जिससे वह राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा।
- नए राज्यों के गठन के पश्चात् मूल राज्य से विभिन्न संसाधनों जैसे- नदी, ज़मीन इत्यादि पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिनसे विभिन्न 'अधिकरणों' का निर्माण एवं विवाद समाधान तंत्र बनाने होते हैं, जिससे अत्यधिक व्यय बढ़ता है।
- नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ती है और संसाधनों एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति के प्रतिकूल है।
- नए राज्यों का गठन यदि विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है, तो यह उचित है किंतु अगर राजनीतिक लाभ एवं वोटबैंक के लिये किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्षत: नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अत: नए राज्यों के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिये। वस्तुत: राज्यों के गठन से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, बल्कि शासन का सुचारु संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन से राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और अंतत: देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2016

प्रश्न: क्या भाषायी राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मज़बूती प्रदान की है? (200 शब्द, 12½ अंक)

Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?

उत्तर: स्वतंत्रता के पश्चात् ही भारत के सामने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल आ खड़ा हुआ। यह राष्ट्र की एकता और समेकन का महत्त्वपूर्ण पहलू था।

गांधीजी सहित अन्य नेताओं द्वारा कमोबेश तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि आज़ाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों के सीमा

प्रश्न: स्वंतत्रता-पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

Discuss the contribution of Maulana Abul Kalam Azad to pre-and post-independent India.

उत्तर: मौलाना आज़ाद एक प्रखर राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार तथा लेखक थे। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि स्वतंत्रता पश्चात् भी देश की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

मौलाना आज़ाद ने अन्य मुस्लिम नेताओं से इतर 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया। इस दौरान वे अरविंद घोष एवं श्याम सुंदर चक्रवर्ती के संपर्क में आए तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग की अलगावादी विचारधारा को खारिज कर दिया। 1912 में उन्होंने एक उर्दू पत्रिका 'अल हिलाल' का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल देना था।

मौलाना आज़ाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। एक कॉन्ग्रेसी नेता के रूप में हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित कर स्वतंत्रता आंदोलन को मज़बूत करने में इनका विशेष योगदान रहा। इन्हें 1923 में कॉन्ग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक के उथल-पुथल के दौर में भी कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1945 की शिमला वार्त्ता के दौरान वे कॉन्ग्रेस के आधिकारिक वार्त्ताकार थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी होने का तथा पाकिस्तान की मांग का घोर विरोध किया।

मौलाना आज़ाद भारत के विभाजन के अंत तक विरोधी रहे। यहाँ तक कि गांधी की मौन सहमति के बाद भी वे विभाजन के विरोधी ही बने रहे। स्वतंत्रता के समय जब सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर थी तथा लाखों की संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे तब उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण देकर मुस्लिमों का विस्थापन रोकने का प्रयास किया।

स्वंतत्रता के पश्चात् मौलाना आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। देश में शिक्षा के विकास के लिये इन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रयास किये। इन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। 'विश्व विद्यालय अनुदान आयोग' तथा 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान' (IIT) की स्थापना का श्रेय मौलाना आज़ाद को ही जाता है। इन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिये अन्य उत्कृष्ट संस्थानों की भी स्थापना की, जिसमें संगीत नाटक अकादमी (1953), साहित्य अकादमी (1954) तथा ललित कला अकादमी (1954) प्रमुख हैं। इन्होंने 'इंडिया विन्स फ्रीडम' जैसी पुस्तकों की रचना की, साथ ही अनेक धार्मिक ग्रंथों तथा कुरान का उर्दू और अंग्रेज़ी में अनुवाद भी किया।

कुल मिलाकर स्वतंत्रता पूर्व भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल पोषक तथा स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में मौलाना आज़ाद का योगदान अद्वितीय है।

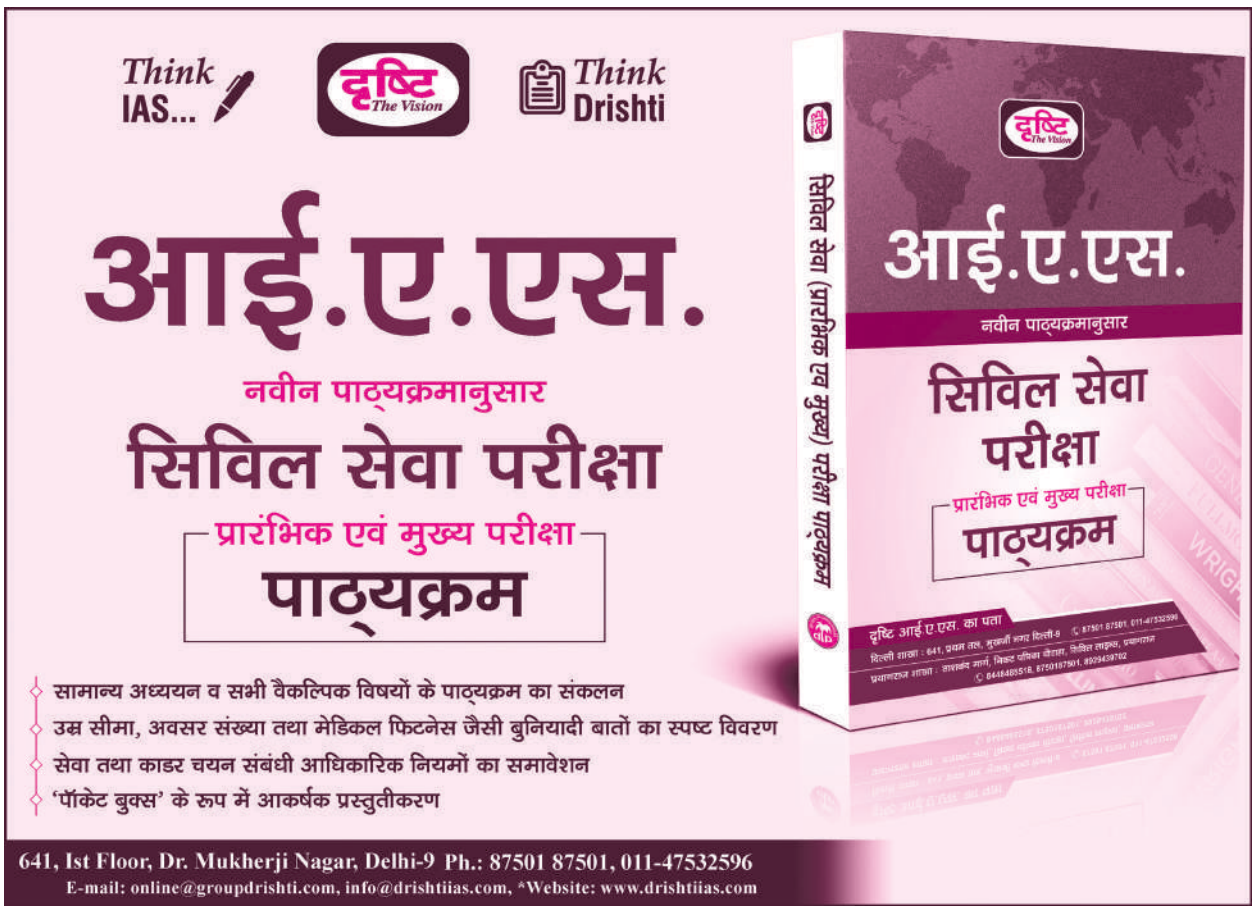

विश्व इतिहास

2019

प्रश्न: स्पष्ट कीजिये कि अमेरिकी एवं फ्राँसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएँ किस प्रकार निर्मित की थीं।
(250 शब्द, 15 अंक)

Explain how the foundations of the modern world were laid by the American and French Revolutions.

उत्तर: विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति और फ्राँसीसी क्रांति को एक आधारभूत युगारंभ के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन्होंने शासन की पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और शासित राष्ट्रों के लिये आधुनिक आदर्श स्थापित किया।

आधुनिक विश्व में अमेरिकी क्रांति का योगदान

- स्वतंत्रता की घोषणा ने उद्घोषित किया कि 'सभी व्यक्ति समान हैं'। इसने विश्व के लोगों को स्वाधीनता और स्वतंत्रता की मांग करने के लिये एक प्रेरणा प्रदान की।
- अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने संघवाद के रूप में सरकार की एक नवीन प्रणाली को जन्म दिया। समय के साथ सरकार की संघीय प्रणाली को लोकप्रियता मिली। सत्ता विभाजन के लिये इस प्रणाली ने विभिन्न देशों को प्रभावशाली खाका प्रदान किया।
- अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने मानव के अधिकारों पर ज़ोर दिया। थॉमस जेफरसन की 'अधिकारों की घोषणा' ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रत किया।

आधुनिक विश्व में फ्राँसीसी क्रांति का योगदान

- फ्राँसीसी क्रांति एक अखिल यूरोपीय क्रांति थी। इसने यूरोप में प्राचीन प्रणाली को समूल नष्ट कर दिया और सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस क्रांति से पूर्व समाज असमानता, विषमता, विशेषाधिकारों और रियायतों पर आधारित था। क्रांति ने एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की।
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जन्म दिया गया।
- फ्राँसीसी क्रांति ने चर्च की संप्रभुता, निरंकुशता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप ज्ञान व तर्क का महत्त्व और बढ़ गया।
- लोगों ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि संपत्ति तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की भी मांग की। उन्होंने मतदान के अधिकार की भी मांग की। महिलाओं ने पुरुषों के साथ समान अधिकार का दावा किया।
- इस क्रांति से राष्ट्रवाद की भावना जाग्रत हुई, जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने लोकतंत्र की अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया।
- फ्राँसीसी और अमेरिकी क्रांति ने न केवल एक नए उभरते हुए समतावादी समाज तथा नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने अन्य देशों के लोगों को दार्शनिक और आकांक्षी के रूप में भी आधारशिला प्रदान की। इन क्रांतियों ने एक सभ्य विश्व के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डाला जिसने वर्तमान समय की वैश्विक आकांक्षाओं को आकार देना जारी रखा है।

2017

प्रश्न: मलय प्रायद्वीप में उपनिवेश उन्मूलन के प्रक्रम में सन्निहित क्या-क्या समस्याएँ थीं? (150 शब्द, 10 अंक)

What problems were germane to the decolonization process in the Malay Peninsula?

उत्तर: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद का तेज़ी से अंत हुआ। 1975 तक आते-आते अधिकांश देशों में राष्ट्रीय सरकारों को सत्ता सौंप दी गई और उपनिवेशों से नए राष्ट्रों का जन्म हुआ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मलय प्रायद्वीप में शामिल बर्मा, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों के अधिकांश क्षेत्रों पर जापान ने अधिकार स्थापित कर लिया था। 1945 में इस क्षेत्र को जापान से मुक्त कराने के बाद ब्रिटिश सरकार इसे स्वतंत्रता प्रदान करने के मार्ग पर आगे बढ़ी जहाँ उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा–

- इस क्षेत्र में मलय तथा चीनी मूल के लोगों के मध्य प्रतिद्वंद्विता की समस्या मौजूद थी।
- यहाँ भारतीय तथा यूरोपीय मूल की जनसंख्या काफी अधिक थी।
- यहाँ नौ रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक एक सुल्तान द्वारा शासित थी।
- प्रत्येक रियासत में उसके स्थानीय मामलों का प्रशासन करने के लिये एक स्वतंत्र विधानमंडल की स्थापना की गई तथा सर्वोच्च नियंत्रण के लिये एक केंद्रीय सरकार बनाई गई, लेकिन सिंगापुर को अभी भी एक उपनिवेश का ही दर्जा दिया गया।
- साम्यवादी विद्रोहियों द्वारा हिंसा फैलाने के कारण ब्रिटिश सरकार को 1960 तक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अंततः तुकू अबुल रहमान ने गैर-साम्यवादियों तथा बहुसंख्यक मलय और भारतीय मूल के लोगों का समर्थन हासिल कर लिया, इसी क्रम में 1957 में ब्रिटेन ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। 1963 में मलेशियाई संघ की स्थापना की गई; आरंभ में सिंगापुर इस संघ में शामिल हुआ पर बाद में इससे अलग हो गया। शेष समस्त मलेशियाई संघ आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है।

भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ

2020

प्रश्न: बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Has caste lost its relevance in understanding the multi-cultural Indian Society? Elaborate your answer with illustrations.

उत्तर: जाति व्यवस्था भारतीय समाज का आधारभूत लक्षण है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में कमज़ोर अवश्य हुई है किन्तु यह समाप्त होने की अपेक्षा संक्रमण काल से गुज़र रहे भारतीय समाज के साथ नए सन्दर्भों में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है-

- संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिये शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में आरक्षण का प्रावधान है। इससे पिछले 7 दशकों में कुछ उपेक्षित और पिछड़ी जातियों का समाज में वर्चस्व बढ़ा है तो वहीं पूर्व मे आर्थिक और सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली रही जातियों का प्रभाव सीमित हुआ है। इसके फलस्वरूप जातिगत आधार पर आरक्षण के लिये नए आंदोलनों का उदय हुआ है, जैसे-जाट, पाटीदार और मराठा जातियों द्वारा आंदोलन।
- विभिन्न वर्गों में जातिगत सजगता मज़बूत हो रही है। इसे शहरी क्षेत्रों में स्थापित जातिगत संगठनों, जैसे-ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल महासभा इत्यादि की स्थापना के रूप में देखा जा सकता है।
- जातियों के आधार पर प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाजों, जैसे- ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार, क्षत्रियों में शस्त्र पूजा इत्यादि का प्रचलन।
- वर्तमान में समाचार पत्रों और वेबसाइट्स पर वैवाहिक विज्ञापन में जातिगत पहचान के आधार पर वैवाहिक रिश्तों को प्राथमिकता।
- राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर दल में पदों और चुनाव टिकट का वितरण तथा विशेष जाति समूह के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत आधार पर दलों की उपस्थिति।

यह सत्य है कि संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण, अंतर-जातीय विवाह में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन, मध्यवर्ग के उदय जैसे कारकों के प्रभाव में जाति व्यवस्था शिथिल हुई है किन्तु उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है वर्तमान में भी जाति की प्रासंगिकता नए स्वरूप में बनी हुई है। वास्तव में वैश्वीकरण और शहरीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुज़र रही है तथा जातियों का आर्थिक स्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजन हो रहा है।

प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं ग़रीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. Comment.

उत्तर: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 20 वर्षों में पहली बार गरीबी के स्तर में वृद्धि हो सकती है। मध्यम-आय वाले भारत जैसे देश में उच्च गरीबी का सामना कर रही जनसंख्या की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से एक ओर जहाँ वर्गीय असमानता में वृद्धि हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर 'नए गरीब' वर्ग का उदय भी हो सकता है। वर्ष 2006 से 2016 के मध्य भारत ने 271 मिलियन लोगों को बहुस्तरीय गरीबी रेखा के स्तर से बाहर निकाला है। किन्तु कोविड के कारण धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन का अनौपचारिक क्षेत्र पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा है जिस पर प्रवासी श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों सहित 85 प्रतिशत कार्यबल निर्भर है।

दरअसल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत रेहड़ी-पटरी वाले सामाजिक संरक्षण के अभाव और ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रचलन के कारण पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोविड के कारण संकुचित अर्थव्यवस्था ने इनकी सुभेद्यता को अधिक बढ़ा दिया है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान आय के आभाव में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि बाधित होने से नए गरीब वर्ग का उदय हो रहा है।

कोविड के दौरान लॉकडाउन में एक ओर तो महिलाओं की रोज़गार में भागीदारी कम हुई है तो दूसरी ओर उनके अवैतनिक कार्य (पारिवारिक दायित्व) में प्रतिदिन 5 घंटे की वृद्धि हुई है। इसी तरह इस दौरान डिजिटल माध्यम से शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है किन्तु देश में मात्र 25 प्रतिशत परिवारों के पास ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है जिससे एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो गया है। इस प्रकार लैंगिक और शैक्षणिक स्तर पर असमानता में वृद्धि हुई है।

कोविड के कारण गतिशील हुई असमनता और गरीबी ने समावेशी विकास लक्ष्यों के मार्ग में विचलन उत्पन्न कर दिया है जिससे निपटने के लिये पीएम स्वनिधि, पीएम ई-विद्या, दीक्षा, गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं।

प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue.

उत्तर: किसी राज्य अथवा क्षेत्र पर सांस्कृतिक वर्चस्व व भेदभावमूलक व्यवहार क्षेत्रीयतावाद को उत्पन्न करता है। लेकिन केवल सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रीयतावाद का एकमात्र कारण नहीं है।

भारत एवं विश्व का भूगोल

2020

प्रश्न: परिप्रशांत क्षेत्र के भू-भौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the geophysical characteristics of Circum-Pacific Zone.

उत्तर: परिप्रशांत क्षेत्र प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित लगभग 40,000 किमी. के क्षेत्र में 'घोड़े की नाल' के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसे 'अग्नि वलय' (Ring to Fire) के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी (सक्रिय एवं सुषुप्त) इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर अवस्थित है।

प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत स्थित यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है, जहाँ इसका अभिसरण महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों से होता है। महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, भारतीय प्लेट तथा महासागरीय प्लेट के अंतर्गत फिलीपाइंस प्लेट तथा कोकोस प्लेटों से प्रशांत महासागरीय प्लेट की सीमा पाई जाती है।

उपर्युक्त स्थिति में महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से संबंधित अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहाँ प्लेटों की आपसी टक्कर से महासागरीय (प्रशांत महासागरीय) प्लेट का गहराई में क्षेपण होता है, वहीं क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि से भूपर्पटी (क्रस्ट) का आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो ज्वालामुखी क्रिया होती है। वहीं महासागरीय प्लेटों के क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है।

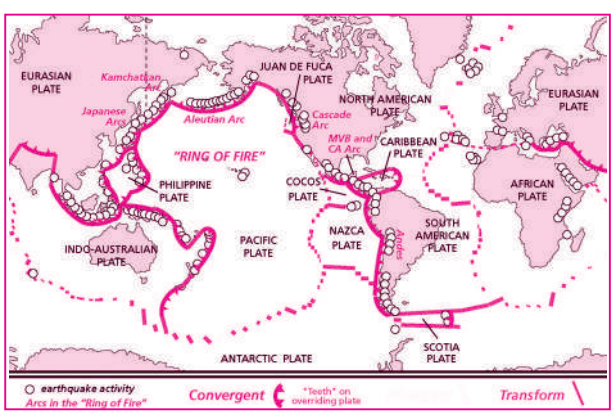

वस्तुत: भूकंप एवं ज्वालामुखीयता से प्रभावित यह क्षेत्र प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन आदि से संबंधित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गतिविधियाँ देखी गई हैं जो सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप आदि के रूप में उभरकर आयी हैं।

प्रश्न: मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

The process of desertification does not have climatic boundaries. Justify with examples.

उत्तर: मरुस्थलीकरण एक ऐसी भौगोलिक प्रक्रिया है, जिसमें उर्वर भूमि मरुस्थलीय भूमि में विकसित होने लगती है। इसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कारणों से शुष्क, अर्द्ध शुष्क, निर्जल इलाकों की ज़मीन रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता में ह्रास होता है। मरुस्थलीकरण से प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण तो होता ही है, साथ ही कृषि उत्पादकता, पशुधन एवं जलवायवीय घटनाएँ भी प्रभावित होती हैं। सूखा, तापमान में वृद्धि, वर्षा का न होना आदि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानवजनित कारक भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में उत्तरदायी हैं।

अनुकूल जलवायविक दशाओं के पाए जाने पर भी यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके लिये मानवीय कारक उत्तरदायी हैं। जो निम्नलिखित हैं–

- मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में अतिचराई प्रमुख कारण है। परती भूमि में पशुओं द्वारा पौधों को चरने के कारण भूमि बंजरता में वृद्धि हुई है।
- शहरी जीवनशैली, औद्योगीकरण के कारण, मकान एवं फैक्ट्रियों की प्रतिस्पर्धा के कारण वनों का संकुचन एवं मैदानों की अनुपलब्धता भी प्रमुख कारण है।
- खनन कार्यों, खुदाई से निकले मलबों को वैसे ही छोड़ देने पर भूमि की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता निम्न हो जाती है।
- उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई, अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति, रेतीले पहाड़ी ढलानों में कृषि आदि से मरुस्थलीकरण की क्रिया तेज़ होती है।
- वन अपरोपण, भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन तथा मानवीय कारणों से जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, जनसंख्या दबाव आदि के कारण मरुस्थलों में विस्तार पाया जाता है।

उदाहरण के तौर-पर साहेल क्षेत्र, जो पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण करता है जिसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास, एरिजोना, न्यूमेक्सिको भी मरुस्थलीकरण प्रभावित

- आधारभूत संरचना तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं के निर्माण में भूवैज्ञानिकों की सलाह ली जाए।
- वनोन्मूलन पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाएँ, साथ ही वनारोपण की प्रक्रिया वृहद् पैमाने पर संचालित की जाए।
- किसी भी विकासात्मक निर्माणकारी प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उसके नकारात्मक प्रभाव की समीक्षा कर ली जाए।
- हिमालयी क्षेत्रों में नियंत्रणकारी पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाए।
- भूस्खलन से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। इसके लिये रिमोटसेंसिंग प्रक्रिया एवं इसरो की सहायता ली जा सकती है।

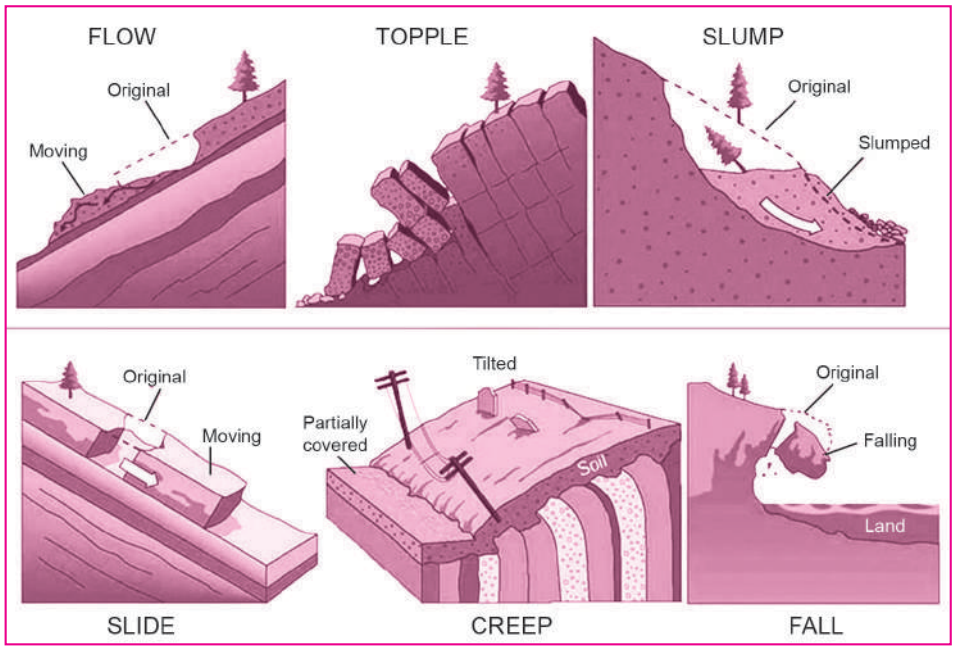

उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन को कम किया जा सकता है तथा जन-धन की हानि एवं जैव-विविधता को नुकसान पहुँचने से रोका जा सकता है।

प्रश्न: भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Enumerate the problems and prospects of inland water transport in India.

उत्तर: अंतर्देशीय जल परिवहन से तात्पर्य किसी देश के भीतर नदी अथवा नहर मार्ग से परिवहन की गतिविधियों को संचालित करना है। हमारे देश में जलमार्गों का प्रयोग प्राचीनकाल से ही किया जाता रहा है, परंतु रेलवे तथा अन्य परिवहन साधनों के विकास के पश्चात् इसका महत्त्व कम हो गया, क्योंकि सरकारी उदासीनता तथा इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण परिवहन के अन्य साधनों से यह पिछड़ता चला गया।

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन में समस्याएँ

भारत में अनेक नदियाँ, नहरें, संकरी खाड़ी और बैकवाटर है; जिनका उपयोग प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल अंतर्देशीय परिवहन साधन के रूप में किया जा सकता है, इनमें कई नदियाँ जल परिवहन के लिये संभाव्य हैं, परंतु इनका विकास जल परिवहन के लिये नहीं किया जा सका है। भारत में जल परिवहन से संबंधित समस्याएँ निम्न हैं–

- भारत में अब तक जल परिवहन के विकास में सरकार द्वारा व्यापक उदासीनता की स्थिति रही है, इसके विकास के लिये सरकार ने कोई विशेष नीति का निर्माण नहीं किया और न ही निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया।
- भारतीय नदियों का बहाव सर्वदा एक-सा नहीं रहता। इनमें वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाती है तथा शुष्क मौसम में ये सूख जाती हैं।
- अधिकांश नदियों की घाटियों में नदभार अथवा अवसाद का निक्षेप होता रहता है, जिससे जलयानों के परिवहन के लिये पानी की गहराई पर्याप्त नहीं रहती।
- दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ मौसमी हैं तथा वे ऊँचे-नीचे पठारी भागों में प्रवाहित होती हैं। इससे इन नदियों में जलयान चलाना संभव नहीं हो पाता है।
- बहुत-सी नदियों के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध कर सिंचाई के लिये नहरें निकाल ली गई हैं, जिससे नदियों में पानी की मात्रा सीमित हो जाती है तथा वे जल यातायात के लिये उपयुक्त नहीं रह गई हैं।
- इसके चलते नदियों के सतत प्रवाह, संरक्षण, विकास इत्यादि पर ध्यान न देने से भी परिवहन विकास में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।

इसके अलावा कार्गो चढ़ाने-उतारने के लिये टर्मिनल अवसंरचना और उनकी सड़क तथा रेलवे संरचना के साथ संबद्धता, सुरक्षित एवं निर्विघ्न नौचालन हेतु संबंधित सहायताएँ तथा जलयानों की कमी भी जल परिवहन की समस्याओं में शामिल है।

भारत में जल परिवहन की संभावनाएँ

उपर्युक्त समस्याओं के बावजूद भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं, जो निम्नवत् हैं–

- भारत विश्व के सर्वाधिक नदियों वाले देशों की श्रेणी में आता है, इसके चलते भारत जल परिवहन की व्यापक संभावनाओं वाला देश है।

महासागरीय जल की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित हैं तो कुछ पृथ्वी की परिभ्रमण क्रिया तथा उसके गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित हैं।

महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को तीन वृहद् भागों में विभाजित किया जाता है–

पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक

- पृथ्वी अपने अक्ष पर सदा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती रहती है। इस परिभ्रमण गति के कारण जलीय भाग स्थलीय भाग का साथ नहीं दे पाता है, जिस कारण वह पीछे छूट जाता है। इसके परिणामस्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है।
- कभी-कभी जल पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके कारण प्रति विषुवतीय जलधारा का जन्म होता है।
- पृथ्वी की परिक्रमा का धाराओं की दिशा पर भी असर पड़ता है। धाराएँ कोरिऑलिस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्द्ध में विषुवत् रेखा के ऊपर दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं।

सागर से संबंधित कारक

सागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व इत्यादि में स्थानीय कारकों के फलस्वरूप परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके प्रभाव से धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो निम्न हैं–

- पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण में असमानता पाई जाती है। विषुवत रेखीय भागों में सूर्य की लंबवत् किरणों के कारण, जल का ताप अधिक होने के कारण जल का घनत्व कम होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण जल का घनत्व अधिक पाया जाता है। इससे जल अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रवाहित होने लगता है व सागरीय धारा की उत्पत्ति होती है, उदाहरण के तौर पर लैब्राडोर धारा को लिया जा सकता है।
- लवणता से भी सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। लवणता से जल घनत्व में अंतर होने के कारण अधिक लवणयुक्त जल कम लवणयुक्त जल की ओर प्रवाहित होने लगता है।

बाह्य सागरीय कारक

बाह्य सागरीय कारकों में वायुदाब, हवाएँ, वर्षा तथा वाष्पीकरण आते हैं। ये निम्नवत् हैं–

- जहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, वहाँ सागरीय तल नीचे हो जाता है और जहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है, वहाँ सागर तल उच्च रहता है। अत: जल का प्रवाह उच्च सागर तल से निम्न सागर तल की ओर गतिशील हो जाता है, इससे सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है।
- प्रचलित/सनातनी (व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय) पवनें सागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण हैं। प्रचलित पवनें अपने घर्षण बल के कारण जल को अपने प्रवाह की दिशा में बहा ले जाती हैं। इससे सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर तथा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति सनातनी पवनों के कारण होती है।
- भू-घूर्णन : पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण कोरियॉलिस बल उत्पन्न होता है। फेरेल के नियमानुसार, उत्तरी गोलार्द्ध में धाराएँ अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध के धाराएँ अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
- जिन भागों में वर्षा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है, वहाँ जल का तल ऊँचा होता है, जबकि निम्न वर्षा तथा उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में जल का तल निम्न होता है। इससे जल का प्रवाह उच्च जल के तल वाले क्षेत्र से निम्न जल के तल वाले क्षेत्र की ओर होता है व सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है।

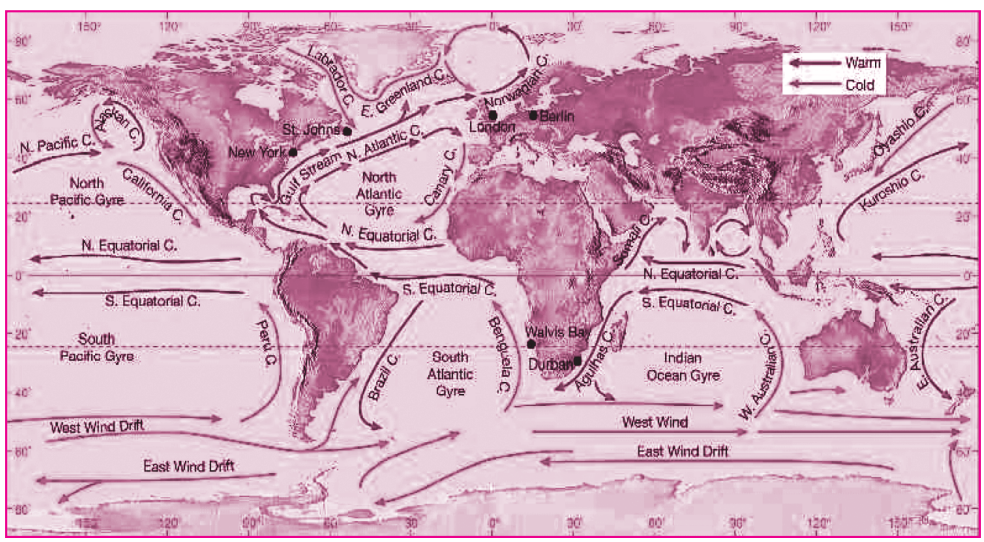

विभिन्न प्रभावों से उत्पन्न महासागरीय धाराएँ

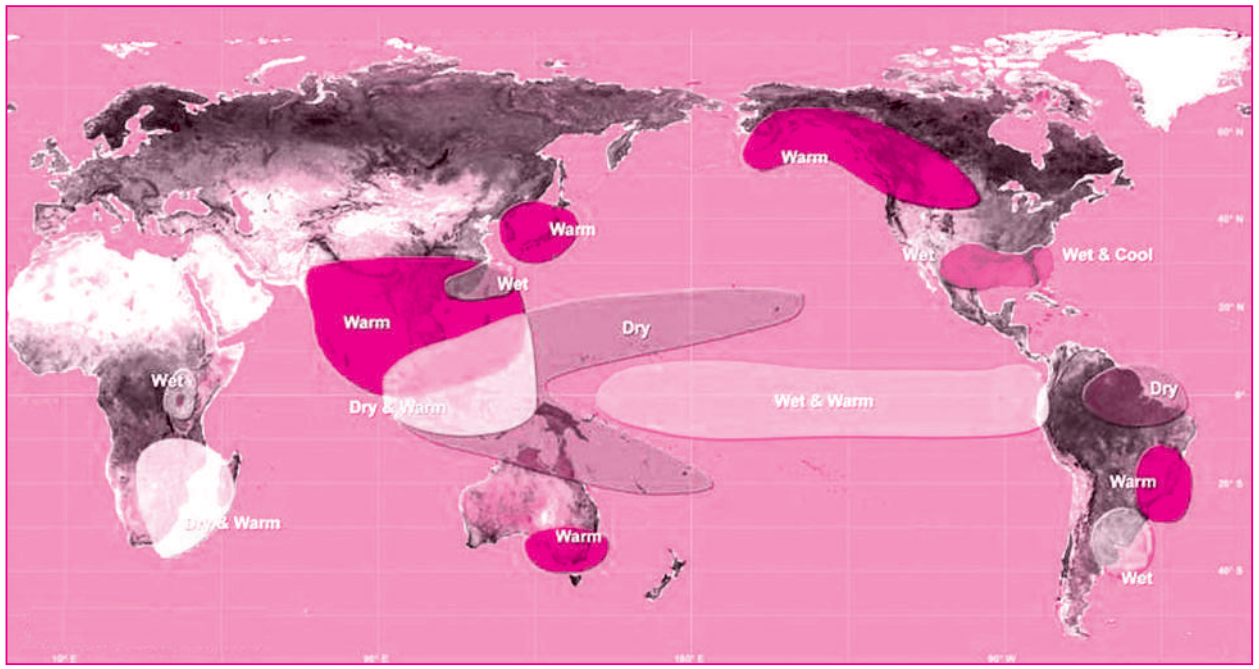

एल-नीनो का प्रभाव

- मैक्सिको, दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड में भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- विभिन्न देशों के जंगलों में दावानल (जंगल में आग का लगना) की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है।
- पेरू तट के पास अवस्थित अटाकामा मरुस्थल की जैव विविधता को व्यापक नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने लगती है।
- पेरू तट के प्रशांत महासागरीय भाग में जलीय जीव नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। पेरू का तटवर्ती महासागरीय जल सागरीय जीवों के लिये सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेरू की ठंडी धारा के ऊपर आगमन होने से (upwelling) प्लैंकटन में वृद्धि होती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है, परंतु एल-नीनो के सक्रिय होने से यह प्रक्रिया मंद हो जाती है। इसके कारण सागरीय आहार शृंखला टूट जाती है, परिणामस्वरूप सागरीय जीव या तो मर जाते हैं अथवा अन्यत्र पलायन कर जाते हैं।

अत: उपर्युक्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि असामान्य जलवायवी घटनाओं में से अधिकांश एल-नीनो से प्रभावित होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ भी इसके लिये ज़िम्मेदार होती हैं, जैसे वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

प्रश्न: भारतीय उप-महाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों (ग्लेशियर्स) और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध उजागर कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Bring out the relationship between the shrinking Himalayan glaciers and the symptoms of climate change in the Indian sub-continent.

उत्तर: वर्तमान समय में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसके नकारात्मक प्रभाव व्यापक रूप से दिखने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा नकारात्मक असर हिमनदियों पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमनदियों के पिघलने की दर सामान्य की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ी है। उसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप की हिमनदियाँ सबसे ज़्यादा तीव्रता से पिघल रही हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वर्तमान दर से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो आने वाले 50–100 वर्षों में हिमालयी हिमनदियाँ पूर्णत: समाप्त हो जाएंगी।

जलवायु परिवर्तन एवं हिमनदियों के मध्य संबंध

- जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण वैश्विक तापन को माना जा रहा है। वैश्विक तापन के प्रभाव से पृथ्वी के सामान्य तापमान में वृद्धि होती जा रही है। इसके चलते हिमालय की हिमनदियाँ तीव्रता से पिघल रही हैं, क्योंकि वे ऊष्मा का अधिक अवशोषण कर रही हैं।
- हिमालयी हिमनदियों पर वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन का भी नकारात्मक असर पड़ा है। वर्तमान में हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा विस्फोट अथवा बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके चलते वर्षा जल के प्रभाव से हिमनदियों के पिघलने की दर में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में आई केदारनाथ आपदा इसी के

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-II)

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

2020

प्रश्न: "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की सदस्यता के लिये अर्हता एवं निरर्हता से संबंधित नियमों का तथा ऐसे चुनाव के संबंध में उत्पन्न विवादों के उपचारों का प्रावधान करता है। विदित हो कि अधिनियम की धारा 123(3) के अंतर्गत वर्णित धर्म,नस्ल व जाति आदि के आधार पर समुदाय में घृणा एवं दुश्मनी पैदा करने पर रोक के बावजूद चुनाव आयोग के पास चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटनाओं की जाँच कराने का अधिकार नहीं है। अत: यह धारा जातिवाद, सम्प्रदायवाद जैसी विसंगतियों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। वहीं अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी नेताओं (कुछ अपराधों के लिये) को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है। हालाँकि मुकदमे का सामना करने वाले (चाहे कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों) नेता चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं।

इस तरह की विसंगतियों को दूर करने हेतु अधिनियम के पर्याप्त सरलीकरण की आवश्यकता है ताकि भ्रष्ट आचरण वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य साबित किया जा सके। उम्मीदवारों के भ्रष्ट आचरण के संबध में चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश भी की गई थी कि अधिनियम की धारा 123 के तहत झूठा हलफनामा दायर करने को भ्रष्ट आचरण माना जाए और इस तरह कानून की धारा 8A के तहत इस मामले में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए साथ ही, 2 वर्ष की कैद का प्रावधान भी किया जाए।

प्रश्न: आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer.

उत्तर: भारतीय संविधान में अनुच्छेद-1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है तथा केंद्र व राज्यों को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, स्पर्धा की भावना से सामूहिक भागीदारी पर बल दिया जाता है।

भारत में केंद्र और राज्य दोनों में परस्पर सहयोग की भावना से समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा की जाती है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहभगितामूलक लोकतंत्र, नीति आयोग की स्थापना और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण है। वहीं विशेष परिस्थितियों में मज़बूत संघीय सरकार राज्यों के मध्य विवादों का समाधान, सहयोग व स्वायत्तता प्रदान कर उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अनुदान, मॉडल एक्ट एवं सूचकांकों के माध्यम से राज्यों को रैंकिंग प्रदान कर स्पर्धात्मक संघवाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालाँकि राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियाँ निहित होने के कारण गंभीर संघर्ष के मुद्दे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न करते हैं। एनआरसी, सीबीआई, किसान कानून व महामारी संबंधित नियमों आदि हालिया उदाहरण केंद्र-राज्यों के मध्य संरक्षणात्मक व स्पर्धात्मक संबंधों को दर्शाते हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान, जैसे - राज्यपाल पद का राजनीतिकरण, विभिन्न विपक्षशासित राज्यों की केंद्र के साथ टकराव की स्थिति प्रतीकात्मक रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष को उत्पन्न करते हैं।

अंतिम रूप में वर्तमान में विद्यमान संरचनाओं व विवादों का समाधान कर सहयोगात्मक एवं स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को सशक्त किया जाना चाहिये तथा गम्भीर संघर्ष की भावना को कम करते हुए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएँ अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

The Judicial Systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.

उत्तर: भारत की आधुनिक न्यायिक प्रणाली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है जिसके परिणामस्वरुप दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्था का कई बिन्दुओं पर अभिसरण होता है। किन्तु भारतीय संविधान में नवाचारों के साथ सयुंक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की कुछ न्यायिक विशेषता को भी शामिल किया गया है जिसके कारण कई बिन्दुओं पर दोनों में अपसरण भी दृष्टिगोचर होता है।

गवर्नेंस

2020

प्रश्न: "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.

उत्तर : प्रशासनिक व सार्वजनिक क्षेत्र के काम-काज में उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) को अधिनियमित किया गया। इस कानून में किये गये हालिया संशोधन इस प्रकार हैं-

	आरटीआई एक्ट, 2005	आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019
कार्यकाल	● केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) एवं सूचना आयुक्त (IC) (धारा-13) → 5 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) ● राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त (धारा-16) → 5 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो)	केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल का निर्धारण
वेतन एवं भत्ते	● केंद्रीय सीआईसी एवं आईसी (धारा-13) → क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के समतुल्य ● राज्य सीआईसी एवं आईसी (धारा-16) → क्रमशः चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य	केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल का निर्धारण

आरटीआई अधिनियम नागरिक सशक्तीकरण का एक ऐसा उपकरण है, जो सरकारी नीतियों, सूचनाओं व व्यय आदि की जानकारी को आम नागरिकों के समक्ष उपलब्ध कराकर उनकी लोकतंत्र में सहभागिता को सुनिश्चित करता है। लेकिन इस कानून में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे-

- इस संशोधित कानून से सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, क्योंकि केंद्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों की प्राथमिकता जन कल्याण से हटकर नौकरी की सुरक्षा पर होगी। साथ ही इससे सूचना आयुक्तों की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
- इस संशोधित कानून के माध्यम से गोपनीयता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि सूचना के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है।
- राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन सहकारी संघवाद में एक बाधा के रूप है।

इस नए संशोधित कानून से सरकार की जवाबदेहिता और आम जनता की शासन में सहभागिता कम हो सकती है, जो कहीं-न-कहीं लोकतंत्र और गुड-गवर्नेंस के लिये हानिकारक है। अतः सरकार को सूचना आयोग की शक्तियों, स्वायत्तता और कार्यकाल को स्थायी बनाने हेतु प्रयास करने चाहिये।

प्रश्न: "आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।" इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.

उत्तर: संस्थागत गुणवत्ता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, गुणवत्तापरक विनियमन और सेवाओं का वितरण, सहभागी व विकेंद्रीकृत निर्णयन, संचार आदि को समाहित किया जाता है। संस्थागत गुणवत्ता विकास की संभाव्यता को अनलॉक करती है, साथ ही आधुनिक तकनीकियों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करती है।

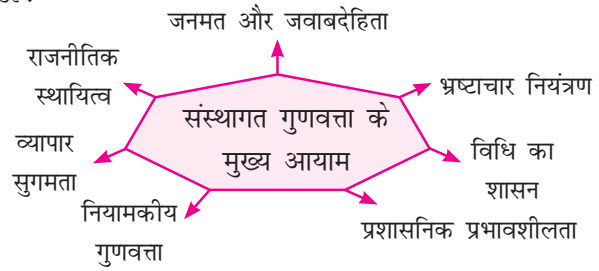

सिविल सेवा प्रशासनिक संस्था का एक समुचित उदाहरण है, जो संस्थागत गुणवत्ता को सुदृढ़ करके देश में आर्थिक संवृद्धि और लोकतंत्र को एक सुनियोजित दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन सिविल सेवाओं में विद्यमान समस्याएँ जैसे- औपनिवेशिक मानसिकता, राजनीतिक हस्तक्षेप, गोपनीयता की प्रवृत्ति, लालफीताशाही, विशेषज्ञता की कमी, आधुनिकीकरण का अभाव इत्यादि इस प्रक्रिया में बाधक हैं। अतः संस्थागत गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवाओं में निम्नलिखित सुधार किये जा सकते हैं -

सामाजिक न्याय

2020

प्रश्न: सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.

उत्तर: 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वृद्धजनों की संख्या 10.4 करोड़ है जो 2026 तक 17 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह देश की कुल जनसंख्या में लगभग 22 प्रतिशत महिलाएँ प्रजनन आयु समूह में हैं तथा मातृ मृत्यु अनुपात 113 प्रति लाख के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में दो बड़े जनसमूह के लिये सुदृढ़ और पर्याप्त जराचिक्तिसा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराके ही सामाजिक विकास किया जा सकता है। वृद्धजनों के लिये स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता–

- वृद्धजनों का कमज़ोर रोगप्रतिरोधक क्षमता के कारण संक्रामक रोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना
- हृदय रोग और क्रोनिक रोगों का उच्च अनुपात
- आय और सामाजिक सुरक्षा के आभाव में आर्थिक निर्भरता
- निरर्थकता और अकेलापन

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत बुजुर्गों की देखभाल की ज़िम्मेदारी का दायित्व राज्यों का है। इसी के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम' प्रारंभ किया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय वयोश्री योजना का भी संचालन किया जा रहा है।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता–

- सयुंक्त राष्ट्र के अनुसार देश में 55 में से प्रत्येक एक महिला पर मातृ मृत्यु का खतरा होना
- महिलाओं में कम वज़न और रक्तल्पता की समस्या
- छुपी भूख और कुपोषण की समस्या
- महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव नवजात वर्ग पर पड़ना और कुपोषण का दुश्चक्र बनना

महिला स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रमुख नीतियाँ–

- लक्ष्य – यह कार्यक्रम प्रसूति कक्ष को बेहतर बनाने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – इस योजना की पात्र गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में ₹5,000 दिए जाते हैं।
- जननी सुरक्षा योजना – यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान – इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं (जाँच और दवाओं सहित) का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है।

इसके साथ ही आयुष्मान भारत सभी वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों से इतर भी पोषण और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं और वृद्धजनों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करके संधारणीय विकास लक्ष्य-3 अर्थात् उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राप्त किया जा सके।

प्रश्न: "केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है।" इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

"The incedence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone". In this context analyse the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report.

उत्तर: 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव' के अनुसार 'बहुआयामी गरीबी' के निर्धारण में 'आय पर आधारित गरीबी निर्धारण' से इतर लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले सभी अभावों/कमी को समाहित किया जाता है। इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिये खतरनाक होते हैं, जैसे कारकों को शामिल किया जाता है।

गरीबी के संदर्भ में वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित अध्ययन है, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों में लगभग 103 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। इनमें से आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। इस अध्ययन में पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उप-सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को शामिल किया गया है। इन आँकड़ों के अनुसार, भारत समेत चार देशों ने विगत 5 से 10 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है।

यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 वर्ष पूर्व ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है, जो कि सतत विकास लक्ष्यों (Substainable Development Goals-SDGS) को प्राप्त करने का नियत वर्ष है, जिसका पहला लक्ष्य हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है। इसीलिये इस रिपोर्ट का शीर्षक 'चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी : एचीविंग द एसडीजी' रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2020

प्रश्न: कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic.

उत्तर: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) एक अंतर-सरकारी संगठन है तथा सामान्यत: अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देकर विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है।

वर्तमान कोविड-19 के दौर में यह संगठन समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर इस महामारी से बचाव को सुनिश्चित किया जा सके।

हालाँकि, कई मुद्दों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिह्न लगे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि इस महामारी के शुरुआती समय में डब्ल्यू.एच.ओ. की भूमिका के कारण ही दुनिया में इस वायरस को लेकर गलत सूचनाओं की भरमार हुई। शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यात्रा पर पाबंदियाँ न लगाने की सलाह देकर कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में भी देरी की। परिणामस्वरूप कई देशों ने जानकारी के अभाव के चलते इस महामारी से निपटने के लिये देर से कदम उठाए। इस प्रकार पर्याप्त सूचना की कमी दुनियाभर के हज़ारों लोगों के लिये जानलेवा साबित हुई। यह कहा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक सलाहकार संगठन के तौर पर असफल रहा क्योंकि ये सही समय पर दुनिया को इस महामारी के प्रति चेतावनी देने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी ओर यह संगठन तकनीकी भूमिका निभा पाने में भी असफल रहा क्योंकि ये लगातार इस वायरस के प्रकोप के कारण, उत्पत्ति और इसकी संक्रामकता को लेकर चीन के मूल्यांकन को ही बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता रहा।

विदित हो कि महामारी फैलने के बावजूद, जनवरी 2020 में जब सारे सबूत चीन की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के उलट तस्वीर पेश कर रहे थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की इस प्रतिबद्धता के लिये उसकी तारीफ कर रहा था। डब्ल्यू.एच.ओ. की भूमिका को लेकर कई देशों ने भी आलोचना की हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसकी तमाम गुजारिशों के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने अंदर बेहद ज़रूरी सुधार करने में असफल रहा है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक नेतृत्व ख़तरे में है। वैश्विक स्तर पर अपने नेतृत्वकारी भूमिका के प्रति विश्वास और पारदर्शिता का माहौल पुनर्निर्मित करने के लिये इस संगठन में पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता है और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जी-20 देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा भी गया है, "आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की ज़रूरत है और इसे मज़बूत बनाए जाने की भी आवश्यकता है।"

प्रश्न: 'अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है।' उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

'Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and European Countries'. Comment with examples.

उत्तर: विदेशों में प्रवासी भारतीयों को न केवल उनकी संख्या की वजह से जाना जाता है, बल्कि उनके योगदान के लिये उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। भारत के लगभग 1.8 करोड़ लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में रहते हैं। इनमें से लगभग 27 लाख जनसंख्या अमेरिका में तथा लगभग 1.3 मिलियन यूरोप में हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा, सऊदी अरब, मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है।

प्रवासी भारतीय अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उदाहरणस्वरूप भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत-अमेरिकी परमाणु समझौता में एक निर्णायक भूमिका निभाई गई थी। अमेरिका में वर्ष 2020 के अंत में संपन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रही है। हाल ही में भारतीय मूल की कमला हेरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है तथा भारतीय मूल के चार सांसदों रोहित खन्ना, एमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल के अलावा 30 से ज़्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन में विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी सरकार के उच्च राजनीतिक पदों पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के चुनिंदा मंत्रियों में से एक हैं जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर (सरकारी वित्त मंत्रालय के चांसलर) जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा इटली में लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय डेयरी, कृषि और घरेलू सेवा क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

इन देशों में प्रवासी भारतीय समुदाय की बढ़ती भूमिका के चलते यह आशा की जा सकती है कि ये कोविड-19 से उपजी आर्थिक चुनौतियों में भी भारत के आर्थिक संबधों को मज़बूती प्रदान कर आपसी रिश्तों को प्रगाढ़ करेंगे। साथ ही,वैश्विक राजनीति में भारतीय हितों की पूर्ति में सहायक साबित होंगे।

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-III)

अर्थव्यवस्था

2020

प्रश्न: समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.

उत्तर: वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात देश की आर्थिक संवृद्धि दर में वृहद सुधार देखा गया है जहाँ उदारीकरण के पूर्व जीडीपी की उच्चतम वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी तो वहीं सुधारों के पश्चात यह 9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक भी पहुँची है। किन्तु पिछले तीन दशक में संवृद्धि के समावेशी और विकास के संपोषणीय होने को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं।

समावेशी संवृद्धि से तात्पर्य ऐसे आर्थिक विकास से है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिये अवसरों का सृजन करके समाज के हर वर्ग को समृद्धि का लाभांश वितरित करती है। इसके तहत आंतर्पीढ़ी के स्तर पर लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

संपोषणीय विकास आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक कल्याण के मध्य साम्यता करके पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसमें अंतर्पीढ़ी के स्तर पर स्वास्थ्य, जीवन स्तर सुधार जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाता है।

आंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के मुद्दे

- देश के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की कमी
- महिलाओं का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से अपवंचन
- देश में आर्थिक अवसरों का असमान वितरण एवं बढ़ती बेरोज़गारी
- स्वास्थ्य संसाधनों तक सीमित पहुँच
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी
- औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच

अंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के मुद्दे

- पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक संवृद्धि पर अधिक बल
- वन संसाधनों का तीव्र और अंधाधुंध दोहन
- जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी
- अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति

वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए आंतर्पीढ़ी और अंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता प्राप्त की जा सके।

प्रश्न: संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को परिभाषित कीजिये तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिये। वे कौन-से कारक हैं, जो भारत को अपने संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को साकार करने से रोकते रहे हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP.

उत्तर: संभाव्य जीडीपी से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभाव्य जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो एक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है।

संभाव्य जीडीपी के निर्धारक कारक

- अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग
- देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम का इष्टतम वितरण
- श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता
- उत्पादन से जुड़े विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता
- तकनीक के क्षेत्र में प्रगति
- प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था
- राजनीतिक स्थिरता

भारत में संभाव्य जीडीपी प्राप्ति के मार्ग में बाधाएँ

- निम्न प्रतिव्यक्ति आय तथा निम्न क्रय क्षमता
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी तथा बढ़ती संरक्षणवादी नीतियाँ
- नीतिगत सुधार में न्यायिक हस्तक्षेप
- वित्तीय क्षेत्र में उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
- उच्च उत्पादन लागत
- अकुशल और असंगठित श्रम बल की निम्न उत्पादकता
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

2020

प्रश्न: नैनोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by nanotechnology and how is it helping in health sector?

उत्तर: नैनोटेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलीक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। सरल शब्दों में, तकनीकी कौशल के माध्यम से पदार्थ एवं उपकरणों का नैनो स्तर पर प्रबंधन एवं निर्माण ही नैनो तकनीक के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में यह तकनीक एक वैज्ञानिक परिकल्पना मात्र थी, जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की खोज ने वास्तविकता में बदल डाला। बहुआयामी उपयोगी प्रकृति होने के कारण नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोगिता क्षेत्र भी असीमित है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है-

- **इमेजिंग**- क्वांटम डॉट्स अर्द्धचालक नैनो क्रिस्टल होते हैं, जो चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये जैविक इमेजिंग की प्रक्रिया को उन्नत बना सकते हैं। ये परंपरागत जैविक परीक्षणों, जैसे-एमआरआई आदि से एक हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर जैविक परीक्षण करने में भी सक्षम है।
- **दवा आपूर्ति**- नैनो तकनीक के ज़रिये शरीर के किसी हिस्से में उतनी ही दवा का प्रवेश कराया जा सकता है, जितनी आवयश्क हो। डेन्ड्रीमर्स ऐसे नैनो पदार्थ है, जो कैंसर और अन्य रोगों के इलाज के लिये सटीक ढंग से इस्तेमाल किये जा सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक 'नैनोमीसल्स' बनाया है जिसका उपयोग स्तन, बृहदान्त्र और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रभावी दवा वितरण के लिये किया जा सकता है।
- **थेरानोस्टिक्स**- इस तकनीक के ज़रिये चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोग की पहचान, निदान और उसके बाद चलने वाली चिकित्सीय प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखने की संभावना का विकास हुआ है।
- **कैंसर का इलाज**- बहुस्तरीय इलाज के दौरान नैनो कण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिये आधार प्रदान करते हैं।

प्रश्न: विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technologies?

उत्तर: बौद्धिक और मानसिक क्षमता प्रदान कर विज्ञान ने मानव समाज को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचाया है तथा प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो वैज्ञानिक अविष्कारों एवं खोजों से बनाई गई वस्तुओं का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे रेल हो या हवाई जहाज़, चलचित्र हो या चिकित्सा उपकरण या फिर कंप्यूटर या स्मार्टफोन हमारे जीवन की दिनचर्या में इनका समावेशन प्रत्येक जगह पाया जाता है। जिस काम को करने में मनुष्य को अधिक समय लगता है या जो काम जटिल तथा दुष्कर है, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बनी मशीन की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक सोच ने अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करते हुए मानवीय चिंतन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है।

विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों ने कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये है जिसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्न परिवर्तनों को देख जा सकता है-

- जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवरों, जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया गया है,को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) कहा जाता है। जीएमओ तकनीक ने कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं।
- प्रौद्योगिकी की मदद से परिवहन अवधि के दौरान क्षति रोकने के लिये फसलों की क्षमताओं को बढ़ाकर, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी की मदद से फसलों की ऐसी किस्में तैयार की हैं जिनमें हानिकारक गुणों की अपेक्षा लाभकारी गुण अधिक हैं।
- जीन अभियांत्रिकी और पौधों की नवीन विकसित प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा फलों तथा सब्ज़ियों के स्वाद भी नियंत्रित किये जा सकते हैं और उनमें इस तरह के गुणों को समाविष्ट किया जा सकता है जिससे कि वे लम्बे समय तक खराब न हों।

प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने विश्वभर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि, इस संकट पर विजय पाने के लिये प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic.

उत्तर: वैश्वीकरण के युग में कोविड-19 महामारी व्यापारिक गतिविधियों के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले लोगों के माध्यम से तेज़ी से फैली है। इस महामारी ने स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। इससे दुनिया में विशष तौर पर

पर्यावरण

2020

प्रश्न: पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2020 प्रारूप मौजूदा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 से कैसे भिन्न है?
(150 शब्द, 10 अंक)

How does the draft Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?

उत्तर: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का अभिप्राय किसी एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया के ज़रिये किसी परियोजना जैसे- खनन, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। सितंबर 2006 में पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर अनेक परियोजनाओं, जैसे-खनन,ताप,ऊर्जा संयंत्र, नदी घाटी तथा आधारभूत संरचना आदि के लिये पर्यावरण मंज़ूरी हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य कर दिया। हालाँकि इस अधिसूचना द्वारा कई परियोजनाओं के आकार अथवा क्षमता के आधार पर उनकी मंज़ूरी की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई।

विदित हो कि वर्ष 2020 में मौजूदा अधिसूचना के स्थान पर एआईए अधिसूचना प्रारूप 2020 लाया गया है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 के के मुख्य प्रावधान

- इसमें सर्वजनिक परामर्श के लिये 40 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।
- इसमें निगरानी बारंबारता में एक वर्ष की राहत दी गई है।
- इसके अंतर्गत परियोजनाओं को सामाजिक क्षमता और पर्यावरण प्रभाव के आधार पर तीन श्रेणी-ए, बी1 और बी2 में विभाजित किया गया है, जिनके अनुमोदन की प्रक्रिया इनके जोखिम के आधार पर निर्धारित है।
- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त परियोजना के विरुद्ध 'राष्ट्रीय हरित न्यायालय' में अपील की जा सकती है।

ईआईए अधिसूचना प्रारूप 2020 कई कारणों से विवादित भी रहा है। इस अधिसूचना प्रारूप के विवाद संबंधित मुद्दे निम्नलिखित है जो इसे पूर्ववर्ती ईआईए अधिसूचना, 2006 से अलग करते हैं-

- **सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया**- ईआईए मसौदे में जनता को पर्यावरण मंज़ूरी की मांग करने वाले आवेदनों पर जनसुनवाई के दौरान अपनी प्रतिक्रियाएँ देने के लिये पूर्वनिर्धारित 30 दिनों की समय अवधि को कम करके 20 दिन करने का प्रस्ताव है। वहीं जन सुनवाई की प्रक्रिया को 40 दिनों में पूर्ण किया जाना आवश्यक बनाया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2006 की अधिसूचना के तहत यह समयावधि 45 दिनों की थी। साथ ही,यदि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के विचारों, टिप्पणियों और सुझावों की तैयारी के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, तो ऐसी सार्वजनिक सुनवाई निरर्थक होगी।
- **पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति**- नया मसौदा परियोजनाओं के लिये पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी प्रदान की जा सकती है, भले ही निर्माण शुरू कर दिया गया हो या बिना पर्यावरणीय मंज़ूरी के निर्माण चल रहा हो। इसका अर्थ यह भी है कि उल्लंघन को वैधता मिलने से परियोजना से होने वाले किसी भी पर्यावरणीय नुकसान को माफ कर दिया जाएगा। इसके तहत एकमात्र उपाय जुर्माना या सज़ा देना होगा, लेकिन यह पर्यावरण पर हानिकारक परिणामों को सही नहीं करेगा। इस प्रकार पोस्ट फैक्टो अनुमोदन पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसने 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) के तर्क को उलट दिया है, जो भारत के पर्यावरणीय दृष्टिकोण का आधार बनाता है।
- **अनुपालन रिपोर्ट जारी करना**- 2006 की अधिसूचना के अनुसार परियोजना के प्रस्तावक को हर छह महीने में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी, जिसमें वह प्रमाणित करते थे कि स्वीकृति के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस नए मसौदे में प्रमोटर को हर साल केवल एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, इस अवधि के दौरान, परियोजना पर ध्यान न देने से पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है जिसके स्वास्थ्य या सामाजिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

इसके आलावा इसमें कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक सुनवाई या पर्यावरण मंज़ूरी के बिना 'आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों' के रूप में घोषित करने की अनुमति दी गई है। इस मसौदे के माध्यम से, केंद्र सरकार परियोजनाओं को 'रणनीतिक' श्रेणी का वर्गीकृत कर सकेगी। विदित हो कि एक बार किसी परियोजना को रणनीतिक माना जाता है, तो ऐसी परियोजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाली जाती है।

हालाँकि, इस मसौदा अधिसूचना में ईआईए से संबंधित कई शर्तों को पहली बार परिभाषित किया गया है। यह इस अर्थ में लाभदायक है कि इसने वर्तमान कानून में कुछ अस्पष्टता को कम करने के लिये ईआईए के कई नियमों को समेकित करने का प्रयास किया है। लेकिन इस मसौदे में 'पर्यावरणीय कानूनों के सिद्धांत' को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिससे अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, संवैधानिक दायित्वों और पर्यावरणीय विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आपदा प्रबंधन

2020

प्रश्न: आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.

उत्तर: आपदा प्रबंधन पर खर्च किये जाने वाले प्रत्येक डॉलर से आपदा से होने वाली लगभग 3 डॉलर की क्षति को रोका जा सकता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की नीति में आमूल परिवर्तन करते हुए राहत व बचाव केंद्रित नीति के स्थान पर अग्रसक्रिय (Proactive) एवं बहुआयामी उपागमों पर बल दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है, लेकिन पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत आपदा के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य किया जाता था। इससे जन-धन की व्यापक हानि के साथ-साथ प्रभावित लोगों का पुनर्वास व रिकवरी सम्यक रूप से नहीं हो पाती थी, उदाहरणार्थ ओडिशा में चक्रवात (1999), 2004 की सुनामी के द्वारा मानव, आर्थिक, पर्यावरणीय, भौतिक संसाधनों का विनाश आदि। इसीलिये अग्रसक्रिय उपागमों के अंतर्गत रोकथाम के उपाय, उचित तैयारी, शमन और कार्रवाई आदि के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा दीर्घकालिक निवारक और सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है।

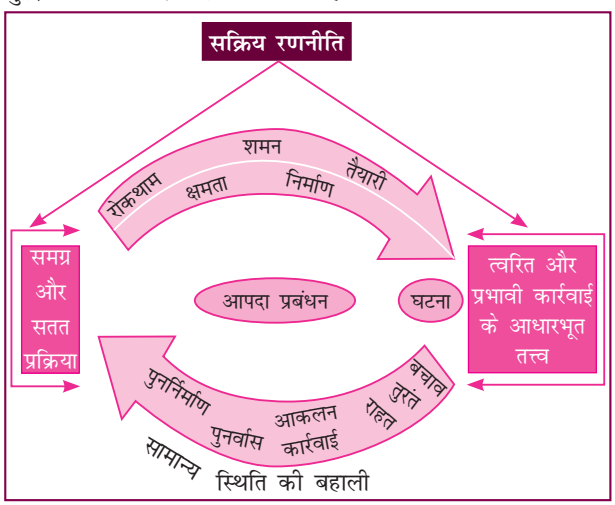

आपदा प्रबंधन के अभिनूतन उपाय

- आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा आपदा की प्रभाविता को कम करने हेतु विभिन्न सैटेलाइट्स जैसे EOS-01, RISAT, INSAT इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत करके राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला व स्थानीय स्तरों पर प्रारंभिक चेतावनी देने, आपदा के बाद निर्माण कार्य करने तथा समुदायों को आपदा के प्रति जागरूक करने के साथ आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग, जोनेशन, मॉनीटरिंग करने तथा तैयारी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (NLRMS) को अपनाया गया है।
- संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से तटीय ज़िलों में चक्रवात के जोखिम व सुभेद्यता को कम करने के लिये राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चक्रवात पूर्व चेतावनी हेतु देश में 7 चक्रवात चेतावनी केंद्र भी स्थापित किये गए हैं।
- विकास कार्यों में आपदा जोखिम कटौती को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया गया है। साथ ही आपदा के प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण (TDRM), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पेशेवर प्रशिक्षण को शामिल किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन की दिशा में अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देते हुए आपदा संबंधी डाटा के प्रसार, बचाव, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि को मुहैया कराया जा रहा है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शहरी बाढ़ के मद्देनज़र एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली (IFLOW) को अमल में लाया जा रहा है। साथ ही आपदाओं से सुरक्षा हेतु प्राकृतिक अवरोधों (जैव ढाल- Bio Shields) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ।

हालाँकि भारत सरकार आपदा जोखिम कटौती (DRR) को मुख्यधारा में लाने के लिये अग्रसर है, तथापि पेरिस समझौते एवं संधारणीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप आपदा प्रबंधन रणनीति को सुनियोजित करके जलवायु परिवर्तन के जोखिम को न्यून और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

2019

प्रश्न: आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

सुरक्षा

2020

प्रश्न: साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.

उत्तर: साइबर अपराध एक गैर-कानूनी और विद्वेषपूर्ण गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग एक सहायक उपकरण या लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। साइबर अपराधों के विविध प्रकारों को सामान्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -1. एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, 2. शस्त्र के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल।

प्रमुख साइबर अपराधों के प्रकार

- **डिनायल-ऑफ सर्विस:** इसके अंतर्गत किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता को बाधित किया जाता है।
- **फिशिंग:** यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे कुख्यात तरीका है जिसमें हमलावर अपने वास्तविक होने का दावा करते हुए लोगों का विश्वास हासिल करके ईमेल, चैट मैसेज आदि के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं की महत्त्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करके उनका दुरुपयोग करते हैं।
- **साइबर स्टॉकिंग:** यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों, सोशल मीडिया और ईमेल आदि के ज़रिये परेशान किया जाता है।
- **हैकिंग :** इसमें किसी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर बिना अनुमति के अनाधिकारिक पहुँच बनाकर संवेदनशील डाटा की चोरी, उसे डैमेज करना तथा फिरौती की मांग करना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बोटनेट्स, वायरस हमले (रैनसमवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, वोर्म्स, ट्रोजन आदि तरह के हमले), पहचान की चोरी, ऑनलाइन गैम्बलिंग आदि को साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है।

सर्ट-इन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 3.94 लाख साइबर अपराध की घटनाएँ हुईं जो विगत वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। कोविड-19 महामारी व वर्क फ्रॉम होम कार्य संस्कृति में अतिशय बढ़ोतरी के बाद साइबर अपराधों की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। अत्यधिक व्यापक एवं अज्ञात प्रकृति के कारण साइबर अपराधों पर नियंत्रण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। साइबर खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- देश में डाटा स्थानीयकरण, डिजिटल संप्रभुता और इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना ।
- साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये इससे संबंधित सभी नियामक संस्थाओं के समन्वयन को बढ़ावा देना चाहिये तथा देश में पर्याप्त साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल (2020 की स्थिति के अनुसार 10 लाख से अधिक) की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- साइबर खतरों की सुभेद्यता को कम करने तथा इससे निजात पाने के लिये प्रीडिक्शन, प्रिवेंशन, रिस्पांस और डिटेक्शन प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निवेश और R&D को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- यूरोपीय यूनियन के GDPR, और अमेरिका के CLOUD एक्ट की तरह भारत में भी डाटा की सुरक्षा के लिये एक सक्रिय तंत्र होना चाहिये।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, NGOs के माध्यम से देश में साइबर जागरूकता का प्रसार करना।
- साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिये एक एकीकृत साइबर कमांड की स्थापना की जानी चाहिये।
- कंप्यूटर उपकरणों और सॉफ्टवेयर का नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और अपडेशन किया जाना चाहिये तथा मज़बूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिये।

देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत सरकार ने आईटी एक्ट, 2000, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013, सर्ट-इन, आई 4 सी योजना जैसे सराहनीय प्रयास किये हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराधों से निपटने हेतु एक कारगर पहल है।

प्रश्न: प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये।

(150 शब्द, 10 अंक)

For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

उत्तर: देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का प्रशासन के बजाय हिंसावादियों (Militants) को मिलने वाला समर्थन सीमा प्रबंधन के लिये अत्यंत चिंतनीय विषय है। गौरतलब है कि हिंसावादियों को मिलने वाला स्थानीय समर्थन उत्तर (जम्मू-कश्मीर) और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा मुखर है।

स्थानीय समर्थनों में निहित कारक

- **ऐतिहासिक कारक:** आज़ादी के बाद से ही कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रमश: धार्मिक तथा सांस्कृतिक, नृजातीय मुद्दे हिंसावादियों

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-IV)

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

2020

1. (a) व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) के तीन मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति (संस्कृति और नीतियाँ) तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति-शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of ethics and values in enhancing the following three major components of Comprehensive National Power (CNP) viz. human capital, soft power (culture and policies) and social harmony.

उत्तर: व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) मुख्य रूप से चीन के विचारकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक अवधारणा है जो किसी राष्ट्र की समग्र शक्ति का परिचायक है। यह अवधारणा पश्चिमी अवधारणाओं के विपरीत किसी राष्ट्र की सभी प्रकार की शक्तियों का योग प्रस्तुत करती है। इसके मुख्य घटकों में उस देश की आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विज्ञान एवं तकनीकी क्षमता, शिक्षा की स्थिति, मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव, सामरिक शक्ति एवं उसके सांस्कृतिक प्रभुत्व (सॉफ्ट पावर) को शामिल किया जाता है।

नीतिशास्त्र एक प्रकार की आचरण नियमावली है जो किसी समूह या समाज में सही एवं गलत को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसके अंतर्गत किसी समाज हेतु नैतिकता का पालन करने के लिये बनाए गए औपचारिक दिशानिर्देश होते हैं। वहीं मूल्य किसी व्यक्ति विशेष के महत्त्वपूर्ण स्थायी विश्वास एवं विचार हैं जो उसे अच्छे एवं बुरे तथा वांछनीय एवं अवांछनीय के मध्य विभेद करने में सहायता प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति अपने मूल्यों को बाह्य वातावरण, परिवार एवं अनुभव आदि के माध्यम से सीखता है।

किसी राष्ट्र की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) के मुख्य घटकों (मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव एवं मृदु शक्ति) की वृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्य की निम्नलिखित भूमिका होती है-

- मानव पूंजी मूलत: उन लोगों के समूह को संदर्भित करती है जो किसी संगठन/राष्ट्र के आर्थिक अथवा राजनीतिक विकास में अपना योगदान देते हैं अथवा देने योग्य होते हैं। यह महज़ श्रमबल तक सीमित नहीं है। किसी राष्ट्र में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों के विकास द्वारा हम मानवीय पूंजी में भी अभिवृद्धि कर सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र में नैतिकता के मानक उच्च होंगे तो उस समाज में शिक्षा, रोज़गार, अनुशासन एवं तकनीकी विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। वहीं यदि उस समाज में निवासरत व्यक्तियों के मूल्य भी उच्च होंगे तो व्यक्ति बेहतर ढंग से स्वयं के लिये उचित तथा अनुचित के मध्य निर्णय ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप हमें उस समाज में अधिक निपुण लोगों की प्राप्ति होगी जिससे अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि होगी। जैसे कि शुल्टज एवं हर्बीसन द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन दर्शाते हैं कि यू.एस.ए. में उत्पादन की वृद्धि का एक बड़ा भाग, बढ़ी हुई उत्पादकता के कारण है जो मुख्यत: कुशल मानवीय पूंजी निर्माण का परिणाम है।
- 'सॉफ्ट पावर(मृदु शक्ति)' शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। 'सॉफ्ट पावर' मूलत: अमूर्त चीज़ों जैसे- योग, सिनेमा, संगीत, आध्यात्मिकता आदि पर आधारित होता है। किसी राष्ट्र विशेष में उसके सामाजिक नीतिशास्त्र एवं व्यक्तिपरक मूल्यों को संवर्द्धित कर वहाँ की संस्कृति एवं प्राचीन परंपराओं को और परिष्कृत किया जा सकता है जो अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करेगा। एक उदाहरण के रूप में भारत के अध्यात्मवाद, योग, फिल्म और धारावाहिक, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और संगीत, व्यंजन के साथ-साथ इसके सिद्धांत, जैसे कि विश्व बंधुत्व, अहिंसा, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, बहुलवादी समाज आदि ने विश्व भर के लोगों को आकर्षित किया है।
- किसी विविधतापूर्ण समाज में जब लोगों के मध्य एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, करुणा एवं दया का भाव होता है, सामाजिक सद्भाव कहलाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म की एकता एवं परस्पर सामंजस्य के माध्यम से ही सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। उनके अनुसार यह सामंजस्य समाज में नैतिक मूल्यों के परिवर्द्धन से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार किसी समाज में नैतिक मानकों में वृद्धि कर उस समाज के सामाजिक सद्भाव में अभिवृद्धि की जा सकती है।

समग्रत: हम कह सकते हैं कि किसी समाज अथवा राष्ट्र में नैतिक मानकों के उच्च स्तर को स्थापित कर उसकी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) में पर्याप्त अभिवृद्धि की जा सकती है।

1. (b) "शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिये एक प्रभावी और व्यापक साधन है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति, 2020 (एन.ई.पी., 2020) का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

भेदभाव करती है। निष्पक्षता और अपक्षपातीयता न केवल विभिन्न समूहों और सरकार के बीच व्याप्त विश्वास के संकट को दूर करती है, बल्कि यह वंचित वर्गों के प्रति विशेष उपाय, जैसे- आरक्षण, कृषि ऋण माफी, कल्याणकरी योजनाओं का संचालन कर विश्वास को मज़बूत भी करती है। नकारात्मक संदर्भ में दोनों मूल्यों के महत्त्व को निम्नांकित रूप से और स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता है-

- निष्पक्षता व अपक्षपातीयता के अभाव में सहचर पूंजीवाद (Crony Capitalism) तथा भाई-भतीजावाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी; जैसे- विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर अपने संबंधी को अनुचित लाभ पहुँचाना।
- उक्त गुणों के अभाव में राजनीतिक तटस्थता का अभाव, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा कार्य-निर्धारण में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिये किसी राजनीतिक दल के प्रति आस्था रखने वाला लोक सेवक इस नाते अवैध लाभ उठा सकता है।
- पूर्वाग्रहयुक्त विचार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को कमज़ोर करता है, जिससे न्यायपूर्ण व्यवस्था भंग होती है। जैसे- किसी एक भाषा के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला लोक सेवक अन्य भाषाओं के प्रति भेदभाव कर सकता है।
- इनकी अनुपस्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करती है। उदाहरण के लिये, यदि लोक सेवा का उद्देश्य अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करके किसी राजनीतिक दल के विचार को आगे बढ़ाना हो जाए तो इससे किसी के पक्ष में गलत तरीके से सहमति निर्मित हो जाएगी।

उपर्युक्त तर्कों तथा उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्पक्षता तथा अपक्षपातीयता लोक सेवा के आधारभूत मूल्य हैं।

प्रश्न 2(a): 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the terms 'governance', 'good governance' and 'ethical governance'?

उत्तर: वस्तुतः 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' जैसी अवधारणाएँ 'शासन' के ही अर्थ- विस्तार हैं। अपने आदर्श स्वरूप में शासन उन सभी विशेषताओं से युक्त होता है, जिन्हें अभी सुशासन और नैतिक शासन के रूप में निरूपित किया जाता है। चूँकि शासन का आदर्श रूप मूर्त नहीं हो पाया, इसलिये इसकी परिधि सुशासन व नैतिक शासन तक विस्तृत हुई। साथ ही, समय के साथ कुछ अन्य विशेषताएँ भी इस अवधारणा में समाविष्ट हुईं, जिससे शासन के साथ कई उपसर्ग जुड़ते चले गए।

अब अगर इन्हें परिभाषित करें तो शासन का अर्थ नीति-निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है, जो नियमों के एक समुच्चय से संचालित होता है। सुशासन का तात्पर्य न केवल बेहतर क्रियान्वयन से है, बल्कि यह समाज के वंचितों का पक्षधर भी होता है। सुशासन की आठ आधारभूत विशेषताएँ बताई जाती हैं, जिन्हें नीचे रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है-

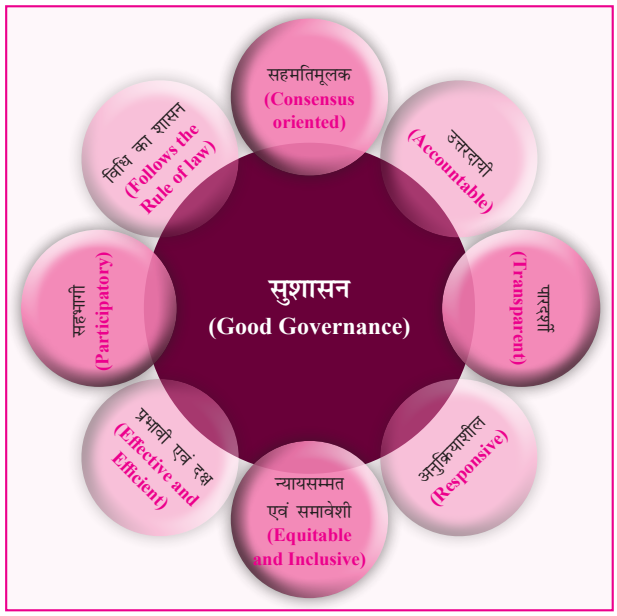

नैतिक शासन में सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे उच्च सार्वभौमिक मूल्य समाहित होते हैं तथा 'शुभ' की प्राप्ति इसका साध्य होता है। नैतिक शासन नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में 'सही और गलत' जैसे नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करना चाहें तो सभी नागरिकों पर 'समान कर' आरोपित करना शासन का एक हिस्सा हो सकता है; किंतु सुशासन के अंतर्गत प्रगतिशील व्यवस्था अपनाई जाएगी तथा आय के हिसाब से कर आरोपित किया जाएगा। जबकि नैतिक शासन में न केवल प्रगतिशील कर व्यवस्था अपनाई जाएगी बल्कि सरकार ईमानदारीपूर्वक कर देने तथा 'शुभ' की प्राप्ति के लिये लोगों से सब्सिडी जैसी सुविधा छोड़ने की 'अपील' कर सकती है। जैसे- Give up LPG Subsidy.

(b) महात्मा गांधी की सात पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss Mahatma Gandhi's concept of seven sins.

उत्तर: महात्मा गांधी एक ओर जहाँ साधन और साध्य को समान रूप से पवित्र मानते हैं, वहीं वह किसी गतिविधि के संचालन या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में पात्र की उपयुक्तता पर भी ज़ोर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो गांधी नैतिक मूल्यों के अभाव में प्राप्त की गई प्रतिष्ठा या वैभव को पाप की संज्ञा देते हैं अर्थात् यदि कोई पात्र सार्वभौमिक मूल्यों से रहित है तो उसमें कितनी भी महान उपलब्धियाँ क्यों न आरोपित कर दी जाएँ, वे 'अनैतिक उपलब्धियाँ' ही कहलाएंगी। गांधी ने जिन सात पापों का उल्लेख किया है, वे हैं-

- परिश्रम रहित धनोपार्जन
- सिद्धांत रहित राजनीति
- विवेक रहित सुख
- चरित्र रहित ज्ञान
- सदाचार रहित व्यापार
- मानवता रहित विज्ञान
- त्याग रहित उपासना या धर्म।

केस स्टडीज़

2020

प्रश्न 1: राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं, जिनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रतिष्ठा है, आजकल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं। वर्तमान में उनका विभाग राज्यों को बजटीय सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त है, जिनमें से चार राज्यों में इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव होने वाले हैं।

इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना (एन.एच.एस.) को ₹8300 करोड़ आवंटित किये थे। यह समाज के कमज़ोर समूहों के लिये केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक ₹775 करोड़ एन.एच.एस. हेतु लिये गए हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य मंत्रालय काफी समय से एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.ज़ेड) स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य दो वर्षों तक चली विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।

अठारह माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड के लिये एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पी.एस.यू.) के पास आवश्यक भूमि पहले से ही है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूहरचना में यह गैस ग्रिड एक अनिवार्य घटक है। वैश्विक बोली (ग्लोबल बिडिंग) के तीन चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग (एम.एन.सी.) मैसर्स एक्स वाई ज़ेड हाइड्रोकार्बन को आवंटित किया गया। दिसम्बर में इस बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किश्त देना निर्धारित है।

इन दो विकास योजनाओं को समय से ₹6000 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिये वित्त मंत्रालय को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी राशि एन.एच.एस. आवंटन में से पुनर्विनियोजित करने की संस्तुति की जाए। फाइल को समीक्षा और अग्रिम कार्यवाही के लिये बजट विभाग में प्रेषित कर दिया गया। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्विनियोजन करने से एन.एच.एस. योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब हो सकता है, वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। दूसरी ओर वित्त की अनुपलब्धता से एस.ई.जेड में वित्तीय क्षति होगी और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलम्बित भुगतान से राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी।

राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें बताया गया कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये। राजेश कुमार ने महसूस किया कि एन.एच.एस. योजना से राशि के विपथन पर सरकार के लिये संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित का विवेचन कीजिये–

(a) कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे।

(b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिये। क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है? (250 शब्द, 20 अंक)

Rajesh Kumar is a senior public servant, with a reputation of honesty and forthrightness, currently posted in the Finance Ministry as Head of the Budget Division. His department is presently busy in organising the budgetary support to the states, four of which are due to go to the polls within the financial year.

This year's annual budget had allotted ₹8300 crores for National Housing Scheme (NHS), a centrally sponsored social housing scheme for the weaker sections of society. ₹775 crores have been drawn for NHS till June.

The Ministry of Commerce had long been pursuing a case for setting up a Special Economic Zone (SEZ) in a southern state to boost exports. After two years of detailed discussions between the centre and state, the Union Cabinet approved the project in August. Process was initiated to acquire the necessary land.

Eighteen months ago a leading Public Sector Unit (PSU) had projected the need for setting up a large natural gas processing plant in northern state for the regional gas grid. The required land is already in possession of the PSU. The gas grid is an essential component of the national energy security strategy. After three rounds of global bidding the project was allotted to an MNC, M/s XYZ Hydrocarbons. The first tranche of payment to the MNC is scheduled to be made in December.

Finance Ministry was asked for a timely allocation of an additional ₹6000 crores for these two developmental projects. It was decided to recommend re-appropriation of this entire amount from the NHS allocation. The file was forwarded to Budget Department for their comments and further processing. On studying the case file, Rajesh Kumar realized that this re-appropriation may cause inordinate delay in the execution of NHS, a project much publicized in the rallies of senior politicians. Correspondingly, non-availability of finances would cause financial loss in the SEZ and national embarrassment due to delayed payment in an international project.

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

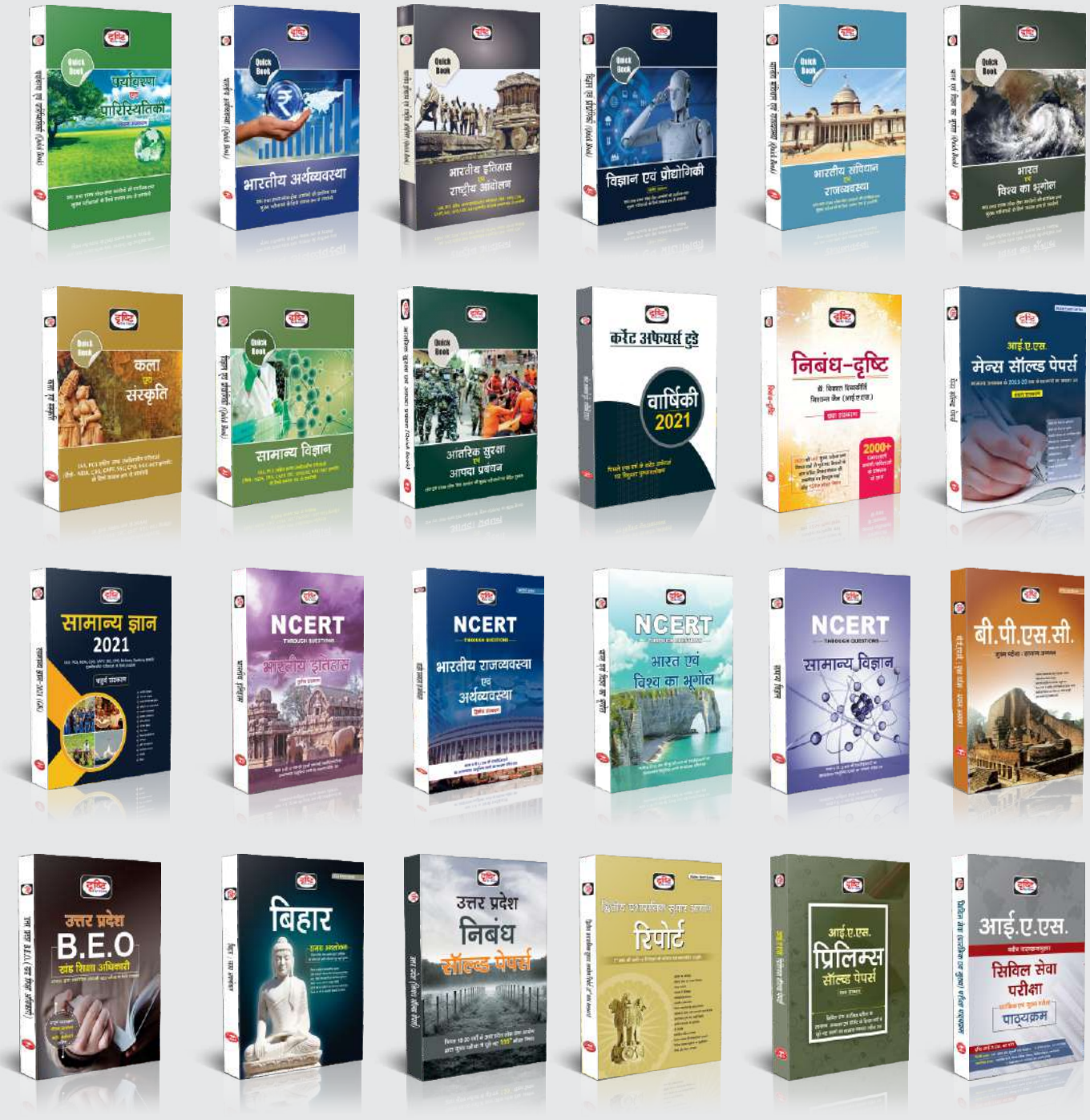

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-950940-9-7

मूल्य : ₹ 360